

पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोresh्वर रंगारे	9617145254
पांडुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)अशोक कडबे		9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई) - मोरेश्वर मेश्राम		9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव-	रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक

प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 02
- हमें बुद्ध धम्म का पालन दृढ़ निश्चय पूर्वक करना चाहिए! - बाबासाहेब आंबेडकर..... 03
- वेद और गीता
मद्रास, 24 मई 1944 - बाबासाहेब आंबेडकर..... 10
- वेद और गीता
पुणे, 29 नवम्बर 1944 - बाबासाहेब आंबेडकर..... 11
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर..... 13
- बुद्ध और उनका धम्म
कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म -दीक्षा..... 16
- वर्तमान घटनाक्रम..... 21
- न्यायपालिका 35
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 38
- समिति के आगामी कार्यक्रम 39

त्रैमासिक

प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - ₹. 80

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
हृदेश सोमकुबर,
सम्पादक

'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

अगले अंक से 'प्रज्ञा प्रकाश' का
मुल्य ₹. 20/- होगा।
तथा वार्षिक सदस्यता
शुल्क ₹. 80/- होगा।

संपादकीय

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यह शब्द सन 1976 के बाद (42वें संशोधन के बाद) जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, सर्वधर्म समभाव। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यह जानते थे कि मानव-मानव के बीच भेद करने वाला धर्म और मानवों के बीच समता सिखाने वाला धर्म, इन दोनों के प्रति समभाव नहीं हो सकता। इसलिए संविधान निर्मिती के समय प्रारंभ में धर्मनिरपेक्ष यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं था।

हमारे देश को "भारत" नाम से मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में भी इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश का मान्यता प्राप्त नाम छोड़कर उसे हिन्दुस्थान नाम से संबोधित करते हैं। इतना ही नहीं तो अन्य नेता और मिडिया में भी हमारे देश को हिन्दुस्थान नाम से ही संबोधित किया जाता है। ऐसा करने के पीछे इन लोगों का षडयंत्र है। इसे भारत वासीयों ने समझने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ भारत को हिन्दु राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। उसके सरसंघचालक मोहन भागवत ने तो यह कह डाला कि हिन्दुस्थान में रहने वाला हर नागरिक हिन्दु है। जब की वास्तविकता सभी जानते हैं कि हमारे देश में हिन्दुओं के अलावा अन्य धर्मों के भी लोग रहते हैं। इसलिए इस देश का हर नागरिक हिन्दु नहीं हो सकता। कुछ हिन्दु समर्थकों द्वारा यह दलील दी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि हिन्दु धर्म न होकर जीवन जीने की कला है। सभी धर्म, उनकी मान्यता के अनुसार, आदमी को कैसे जीवन जीना चाहिए, यही सिखाते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी धर्म जीवन जीने की कला है। अतः जिस प्रकार अन्य धर्म हैं उसी प्रकार हिन्दु धर्म भी है। भारत के इतिहास के अनुसार भारत में सर्व प्रथम वैदिक धर्म था, उसके बाद बुद्ध धर्म और बाद में हिन्दु धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। हिन्दु धर्म के कुछ साधु वैदिक धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और हिन्दुओं को वैदिक धर्म या सनातन धर्म के अनुसार आचरण करने की ताक़िद देते

हैं। विषमता यह वैदिक धर्म और हिन्दु धर्म की रीढ़ है। हिन्दु धर्म के लोगों को हजारों जातियों में बाटा गया है और उंची जातियों के लोगों द्वारा निचि जाती के लोगों का शोषण किया जा रहा है। क्या ऐसी विषमतावादी और शोषणकारी व्यवस्था भारत में प्रस्थापित होनी चाहिए, इस पर भारत के प्रत्येक नागरिक ने मानवता की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है।

भारत में गलत तरिके से धन कमाना आसान है उसी प्रकार मुर्ख बनाना भी आसान है। इस कमजोरी का लाभ ब्राह्मण सदियों से ले रहे हैं। 3 या 4 प्रतिशत होकर बाकी 96 या 97 प्रतिशत पर राज कर रहे हैं। वेदों में मानव कल्याण की कोई भी बात नहीं इसके विपरित उनमें मानव के नुकसान की बात है परन्तु ब्राह्मणों ने लोगों को वेदों की महिमा इस तरह बताई की लोग वेदों को पवित्र मानने लगे अर्थात् लोगों को मुर्ख बनाया गया। तथागत बुद्ध ने लोगों को मुर्खता से निकालकर बुद्धिमान बनाया। भारत में बुद्ध धर्म का प्रभाव लगभग दो हजार वर्षों तक रहा। इस काल में बुद्धिज्म और ब्राह्मणीज्म के बीच संघर्ष होता रहा। आखीर, असत्य की सत्य पर जीत हुई और ब्राह्मणवाद प्रस्थापित होने लगा। भगवत गीता की निर्मिति की गई और लोगों को मुर्ख बनाने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने लोगों के बीच पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रमों के अवसर पर झूठ को महिमा-मंडीत किया और यह तब तक किया जब तक लोग झूठ को सच मान नहीं लिया। पिढी दर पिढी लोग झूठ को सच मानते रहे और आज भी मान रहे हैं क्योंकि झूठी मान्यता की लोगों के मन पर पकड़ को मजबूत करने का काम लगातार चल रहा है जिसे मोदी सरकार आने पर गति प्राप्त हो चुकी है। लोगों की भावनाओं भडकाकर उन्माद पैदा किया जा रहा है और मानव-मानव के बीच द्वेष पैदा किया जा रहा है। ब्राह्मणी साहित्य में मनोरंजक कहानियां, भावनाओं को उत्तेजित करने वाली बातें, काल्पनिक बातें, चमत्कारीक बातें और कर्मकांडों में उलझाये रखने वाली बातों के अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय इसी में उलझे रहने के कारण तरक्की नहीं कर पाये जब की 1945 में तबाह हुआ जापान जैसा छोटा राष्ट्र विकास के शिखर पर है। यही कारण है कि मोदी को जापान से आर्थिक सहायता मांगणी पड़ी। सभी जानते हैं कि जापान बौद्ध राष्ट्र है और बुद्ध धर्म की विचार धारा ही उनकी प्रगती की कुंजी है। अति उत्साही मोदी ने जापान के सम्राट को गीता भेंट की और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उस देश को बता

शेष भाग पृष्ठ 37 पर



हमें बुद्ध धम्म का पालन दृढ़ निश्चय पूर्वक करना चाहिए !

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(धम्मचक्र प्रवर्तन दीक्षाभूमि, नागपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 1956)

कल और आज सुबह बौद्ध दीक्षा लेने का और देने का विधि कार्यक्रम यहां सम्पन्न हुआ उसकी स्थिति के बारे में विचार करने वाले लोगों को कठिनाईयां हुई होंगी। उनके और मेरे विचारों से कल का कार्यक्रम आज और आज का कार्यक्रम कल होना था। हमने यह कार्य हाथ में लिया उसकी आवश्यकता क्यों है और उससे क्या होगा इसका विश्लेषण करना जरूरी है। वह समझ लेने से ही हमारे कार्य का आधार मजबूत होगा। यह समझाने का कार्य पूर्व में ही होना चाहिए था। परन्तु कुछ बातें ऐसी अनिश्चित होती हैं कि वह अपने आप होती हैं। अब इस विधि के बारे में जो होना था वह हो चुका है, परन्तु दिन में ऐसा बदल होने से कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं हुई है।

बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि इस कार्य के लिए आपने नागपुर शहर ही क्यों चुना ? अन्य किसी स्थान पर यह कार्य क्यों नहीं किया ? कुछ लोग कहते हैं कि, आर.एस.एस. - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- की-बड़ी संख्या यहां होने के कारण उनकी छाती पर हमने यह सभा इस शहर में की है। यह बिलकुल सत्य नहीं है। उसके लिए नागपुर में यह कार्यक्रम नहीं किया गया। हमारा इतना बड़ा कार्य है कि जीवन का एक-एक मिनट भी हमें कम प्रतीत होता है। अपना नाक खुजलाकर दुसरो को अपशकुन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है।

इस स्थान को चुनने कारण भिन्न है। जिन्होंने बौद्ध इतिहास का अध्ययन किया है उन्हें समझ में आएगा कि भारत में बुद्ध-धम्म का प्रसार यदि किसी ने किया है तो वह नाग लोग है। नाग लोग आर्यों के बड़े शत्रु थे। आर्य और अनार्यों में लड़ाईयां और बड़े युद्ध हुए। आर्य लोगों ने नाग लोगों को जला दिया। इस प्रकार के उदाहरण पुराण में मिलते

हैं। अगस्त मुनी ने उनसे से केवल एक नाग व्यक्ति को बचाया था। उसी के हम वंशज हैं। जिन नाग लोगोंने इतना छल सहन किया उन्हें उपर उठने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता थी, उन्हें वह महापुरुष गौतम बुद्ध मिला। बुद्ध का उपदेश नाग लोगों ने संपूर्ण भारत में फैलाया। ऐसे हम नाग लोग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नागपुर और उसके आसपास नाग लोगों की बस्ती थी इसलिए इस शहर को 'नाग-पुर' अर्थात नागों का गांव कहते हैं। यहांसे लगभग 27 मिलपर नागार्जुन की पहाड़ी हैं। करीब से बहने वाली जो नदी है वह नाग नदी है। इसका अर्थ यह है कि इस नदी का नाम यहां रहने वाले लोगों के नाम से पड़ा है। नागों की बस्ती से बहने वाली नदी नाग नदी है। यह स्थान चुनने का यह मुख्य कारण है। इसलिए नागपुर चुना है। इसमें किसी को चिढ़ाने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है और वैसी भावना भी नहीं है। आर.एस.एस. का कारण मेरे मन में भी नहीं आया। वैसा किसी ने भी अर्थ नहीं निकालना चाहिये।

हो सकता है अन्य कारणों से विरोध लगता हो, परन्तु मैंने यह स्थान विरोध के लिए नहीं चुना। यह मैंने अभी बताया है। मैंने इस कार्य का प्रारंभ किया इसलिए अनेक लोगों ने और समाचार पत्रों ने मेरी आलोचना की है, कुछ आलोचना तीव्र है। उनके विचारों के अनुसार मैं मेरी गरीब अस्पृश्य जनता को दिशाभूल कर रहा हूँ। जो आज अस्पृश्य है वह वैसे ही अस्पृश्य रहेगा और जो अधिकार उन्हें अब मिले है वह समाप्त होंगे ऐसा कहकर वह लोगों को बहका रहे हैं। वह हमारे कुछ अज्ञानी लोगों पगडंडी से चलो ऐसा कहते हैं। हो सकता है हमारे कुछ युवा और वृद्ध लोगों पर उसका परिणाम होता होगा। इसके कारण लोगों के मन में शंका निर्माण हुई होगी, तब उस शंका का निराकरण करना यह

हमारा कर्तव्य है और ऐसी शंका का निराकरण करना हमारे आंदोलन का आधार मजबूत करना है।

पिछली बार हमने मांस नहीं खाना चाहिए इसलिए आंदोलन किया था। उसकी वजह से स्पृश्य लोगों पर बड़ा संकट आया ऐसा उन्हें लगता था। उन्होंने जिंदा भैंस का दूध पिना और भैंस मरने के बाद मृत भैंसे को हमने कंधो पर उठाकर ले जाना क्या यह विचित्र प्रकार नहीं है? हम उन्हें कहते हैं कि उनकी बूढ़ी मां मरने के बाद वह हमें उसे ले जाने क्यों नहीं देते? मरी हुई भैंस देते हैं उसी प्रकार बूढ़ी मां भी देनी चाहिए। उस वक्त कोई व्यक्ति, केसरी समाचार पत्र के माध्यम से, किसी गांव में हर वर्ष 50 जानवर मरते हैं, उनके खाल की, सींगों की, हड्डियों की, मांस की, पूंछ की और पांव की कुल कीमत 500 रुपये होती है और मृत मांस त्यागने से यह लोग इतनी प्राप्ती नहीं कर पायेंगे, ऐसा प्रचार किया करता था। उसके प्रचार का उत्तर देने की क्या आवश्यकता थी? परन्तु हमारे लोगों को लगता था कि इस बात का उत्तर हमारे साहेब देते क्यों नहीं, साहेब करते भी तो क्या है?

एक बार मैं संगमनेर गया था। सभा की समाप्ति के बाद शाम को भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस वक्त केसरी के उस संवाददाता ने एक चिट्ठी मेरे पास भेजी और मुझसे पूछा, “आप आपके लोगों को मरे हुए जानवर ले जाने को मना करते हैं। उनके हालात कितने खराब हैं? उनकी औरतों को साड़ी चोली नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है, उनकी खेती नहीं है, उनकी ऐसी अत्यंत गंभीर परिस्थिति होने पर भी उनको हर वर्ष खाल, सींग और मांस से होनेवाली 500 रुपये आमदनी को छोड़ दो ऐसा आप उन्हें बताते हैं क्या यह आपके लोगों का नुकसान नहीं है?”

मैंने कहा, इसका उत्तर आपको मैं कहाँ दूँ? वह यहां बरामदे में दूँ या सभा में दूँ? लोगों के सामने ही खुलासा होना अच्छा है। मैंने उस आदमी से पूछा, आपका कहना इतना ही है या और कुछ है? उस आदमी ने कहा, “मेरा इतना ही कहना है, इसी का उत्तर दिजिए।” मैंने उस आदमी से पूछा आपको कितने लड़के हैं? उसने कहा, मेरे पांच लड़के हैं और मेरे भाई को पांच-सात लड़के हैं। आपका परिवार बड़ा है, तब आपने और आपके रिश्तेदारों ने उस गांवके सभी मरे हुए जानवर ले जाना चाहिए और 500 रुपये

का लाभ उठाना चाहिए। यह लाभ आपने अवश्य लेना चाहिये। इसके अलावा मैं हर वर्ष आपको 500 रुपये अधिक देने की व्यवस्था करता हूँ। मेरे लोगों का क्या होगा, उन्हें अनाज, कपड़ा मिलेगा या नहीं इसका विचार मैं करूंगा। इतना लाभ आप क्यों नहीं लेते? आप वह काम क्यों नहीं करते? हमने यह काम किया तो लाभ होगा और आपने किया तो लाभ क्यों नहीं? ले जाईये न मरे हुए जानवर!

कल मेरे पास एक ब्राह्मण के लड़के ने आकर कहा, “पार्लियामेंट, असेम्बली में आपके लोगों को आरक्षण दिया गया है, उसे आप क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने उससे कहा आप महार हो जाईये और पार्लियामेंट असेम्बली में आरक्षण लीजिये। नौकरी का पद खाली रहा तो उसे भरा जाता है। उसके लिए ब्राह्मणों के और अन्य लोगों के अनेक आवेदन आते हैं। फिर जिस प्रकार नौकरियों के पद भरे जाते हैं उसी प्रकार यह आरक्षित पद आप ब्राह्मण लोग महार बनकर क्यों नहीं भरते हैं?”

हमारा नुकसान हुआ तो आप क्यों रोते हैं, ऐसा मेरा उनसे प्रश्न है। ‘आदमी को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता।’ सदाचारी और सद्गुणी स्त्री को व्यभिचार में कितना लाभ होता है इसकी जानकारी होती है। हमारी मुंबई में व्यभिचारी स्त्रियों की एक बस्ती है। वह स्त्रियां सुबह 8 बजे सोकर उठने के बाद बाजू के होटल में नाश्ता के लिए जाती हैं और कहती हैं, (बाबासाहब ने अपनी आवाज बदल कर नकल करते हुए कहा), अरे सुलेमान कीमा की प्लेट और पावरोटी लेकर आ। सुलेमान वह लेकर आता है, साथ में चाय, पाव केक भी लाता है। परन्तु मेरी दलित बहनों को सादी चटनी रोटी भी नहीं मिलती फिर भी वह इज्जत के साथ रहती हैं। वह सदाचार से ही रहती हैं।

हम इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। मनुष्यमात्र को पूर्णत्व की ओर ले जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जो भी त्याग करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। यह समाचार पत्र के लोग (उनकी तरफ मुड़कर) पिछले 40 वर्षों से मेरे पिछे हाथ धोकर पड़े हैं। आज तक उन्होंने मेरी बहुत आलोचना की है! मैं उनसे कहता हूँ, अब तो सोचो, अब तो लड़कपन की भाषा छोड़कर कुछ प्रौढ़ भाषा का इस्तेमाल करो।

हम बुद्ध धर्मीय होने के बाद भी हमारे राजनैतिक

अधिकार में प्राप्त करूंगा इसका मुझे पूरा यकीन है। (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का जयघोष और जोरदार तालियां) मेरे मरने के बाद क्या होगा इसे मैं बता नहीं सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। हमने बुद्ध धम्म स्वीकार करने के बाद क्या होगा, मुसीबतें आयी तो उनसे कैसे बचना होना, उसके लिए क्या युक्तीवाद और कोशीश करनी होगी इसका मैंने पुरा विचार किया है। मेरी पोटली में सबकुछ है। वह किस प्रकार से रखा है इसकी मुझे पूरी जानकारी है। यह जो अधिकार प्राप्त किए हैं वह मैंने ही मेरे लोगों के लिए प्राप्त किए हैं। जिसने यह अधिकार दिलाये वही उन्हें फिर से दिलायेगा ही! यह अधिकार और सहूलियतें दिलाने वाला मैं ही हूँ और मैं फिर से यह सहूलियतें दिलाऊँगा ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए आपने मुझ पर विश्वास करना चाहिये। विरोधी प्रचार में कुछ तथ्य नहीं इसे मैं सिद्ध कर दूँगा।

मुझे केवल एक बात का आश्चर्य हो रहा है। सब तरफ इतना वाद विवाद हो रहा है, परन्तु किसी ने भी मुझसे यह प्रश्न नहीं किया कि 'मैंने बुद्ध धम्म का ही स्वीकार क्यों किया।' अन्य किसी धर्म का स्वीकार न करते हुये यही धम्म क्यों स्वीकार किया। यह किसी भी धर्मांतर के आंदोलन का मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। धर्मांतर करते समय कौन सा धर्म और उसे क्यों स्वीकार करना इसका पुरा परिक्षण कर लेना चाहिये। हमने हिन्दू धर्म छोड़ने का आंदोलन 1935 से येवले में निर्णय लेकर प्रारंभ किया था। 'मैंने हिन्दू धर्म में जन्म लिया परन्तु हिन्दू धर्म में मरूँगा नहीं' ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व में कर चुका था जिसे मैंने कल पुरा कर दिखाया। मुझे अत्याधिक आनंद हुआ है! मैं नर्क से मुक्ति पा चुका हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिये। जिन्हे बुद्ध धम्म का स्वीकार करना है उन्होंने जानकारी के साथ स्वीकार करना चाहिये। उन्हें वह धम्म जचना (मान्य होना) चाहिए।

मनुष्यमात्र के उत्थान के लिए धर्म अति आवश्यक चीज है। मैं जानता हूँ कि कार्ल मार्क्स के वचनों से एक पंथ बना है। उसके कहने के अनुसार धर्म कुछ भी नहीं। उन्हें धर्म का महत्व नहीं है। उनको सुबह ब्रेकफास्ट (नाश्ता) मिला, उसमें पाव, मलाई घी, मुर्गे की टांग इत्यादि होना। भरपेट खाना

मिला, अच्छी नींद हुई और सिनेमा देखने को मिला तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही उनका तत्त्वज्ञान है। मैं उनके विचारों को स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी गरीब थे इसलिए मुझे इस प्रकार का सुख नहीं मिला। मेरे समान कष्टमय जीवन किसी का भी नहीं रहा। इसलिए मैं जानता हूँ कि आदमी का जीवन सुख के अभाव में कितना कष्टमय होता है। आर्थिक उन्नति का आंदोलन आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उस आंदोलन का विरोधी नहीं हूँ। आदमी की आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिये।

परन्तु मैं इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर करता हूँ। भैंसा, बैल और आदमी इनमें अंतर है। भैंसे को और बैल को रोज पशुआहार चाहिए और आदमी को भी अनाज चाहिये। परन्तु दोनों में अंतर यह है कि भैंसे को और बैल को मन नहीं, आदमी को शरीर के साथ मन भी है। इसलिए दोनों का विचार होना चाहिये। मन का विकास होना चाहिए, मन सुसंस्कृत होना चाहिए, उसे सुसंस्कृत बनाना चाहिए। जिस देश के लोग आदमी का अनाज के अलावा सुसंस्कृत मन से कोई संबंध नहीं ऐसा कहते हैं, उस देश या उन लोगों से मुझे संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। जनता के साथ संबंध रखने के लिए आदमी शरीर जिस प्रकार निरोगी चाहिये उसी प्रकार सुदृढ शरीर के साथ मन भी सुसंस्कृत होना चाहिए। अन्यथा मानव जाति का विकास हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता।

आदमी का शरीर या मन रोगी क्यों होता है? उसका कारण यह है कि या तो उसे शारिरीक पीड़ा होगी या मन में उत्साह नहीं होगा। मन में उत्साह नहीं तो प्रगति नहीं। उत्साह क्यों नहीं रहता? उसका पहला कारण है कि आदमी को इस प्रकार रखा जाता है कि उसे ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलता या आशा नहीं रहती। ऐसे समय उसमें उत्साह कैसे रह सकता है? वह रोगी ही होता है। जिस आदमी को अपने कार्य का फल मिलता है उसे उत्साह प्राप्त होता है। जब पाठशाला में शिक्षक कहता है कि यह कौन है, यह तो महार है, यह महार प्रथम श्रेणी में कैसे पास हो सकता है? इसे प्रथम श्रेणी क्यों चाहिए? तुम्हे तृतीय श्रेणी ही चाहिए, प्रथम श्रेणी तो ब्राह्मण को चाहिए, तब ऐसी अवस्था में उस लड़के में उत्साह कैसे होगा? उसकी उन्नति कैसे होगी? उत्साह

निर्माण होने का मूल मन में है। जिसका शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, जो हिम्मतवाला होता है, मैं किसी भी परिस्थिति में लड़कर आगे बढ़ूंगा ऐसा जिसमें विश्वास है, उसी में उत्साह निर्माण होता है और उसी का उत्कर्ष होता है। हिन्दू धर्म में ऐसी विलक्षण तत्त्वप्रणाली उनके ग्रंथों ने बताई है कि उससे उत्साह निर्माण ही नहीं होता। आदमी को निरुत्साही करनेवाली पद्धति हजारों वर्षों तक टिकी रही तो अधिक से अधिक बाबू बनकर पेट पालने वाले लोग पैदा होंगे। इससे अधिक और क्या हो सकता है ? इन बाबुओंकी रक्षा करने के लिए बड़ा बाबू चाहिये।

आदमी के उत्साह का कारण है, मन। आप मिल के मालिकों के बारे में जानते हैं। वह मिल में मैनेजर नियुक्त करते हैं और उनसे मिल का काम करवाते हैं। यह मिल मालिक किसी न किसी व्यसन के आदी होते हैं। उनके मन का सुसंस्कृत विकास हुआ नहीं होता। हमारे मन में उत्साह निर्माण हो इसलिए हमने आंदोलन किया, तब कहीं हमारी शिक्षा प्रारंभ हुई। मैंने लंगोटी लगाकर शिक्षण लेना प्रारंभ किया। पाठशाला में मुझे पीने को पानी नहीं मिलता था। पाठशाला में बगैर पाणी के मैंने अनेक दिन गुजारे। मुंबई के एलिफंसटन कॉलेज में भी ऐसी ही स्थिति थी। ऐसी परिस्थिती होगी तो क्या दूसरी अवस्था निर्माण हो सकती है । बाबूगिरीही निर्माण होगी।

मैं जब दिल्ली की एक्सिक्युटिव कौंसिल में था तब लार्ड लिनलिथगो वाईसराय थे। मैंने उनसे कहा था, आप सभी सामान्य खर्च तो करते ही हैं परन्तु साथ मे मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देते हैं। उसी प्रकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को आप तीन लाख रुपये देते हैं। लेकिन न तो हम हिन्दू हैं और न मुसलमान। हमारे लिए उनकी तुलना में हजार गुना करना चाहिए। हमारे लिए कमसे कम मुसलमानों के बराबर तो कीजिए। तब लिनलिथगो ने बताया कि आप इस संबंध लिखित रूप में लाइये। उनके अनुसार मैंने एक मेमोरेण्डम लिखा। उसकी प्रति अब अभी भी मेरे पास है। यूरोपियन लोगों में बड़ी सहानुभूति थी। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। परन्तु प्रश्न पैदा हुआ कि यह रकम किस बात पर खर्च करनी चाहिए। उन्हें लगता था कि हमारी लड़कियां शिक्षित नहीं हैं, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए,

उनके लिए होस्टल बनाने चाहिए और उस पर यह रकम खर्च करनी चाहिए। हमारी लड़कियों को पढ़ाया, उन्हें सुशिक्षित बनाया भी, तब उनके घर में भिन्न-भिन्न पकवान बनाने के लिए समान कहां है ? अंत में उनकी पढ़ाई का क्या परिणाम निकलेगा ? सरकार ने अन्य बातों पर रकम खर्च की और शिक्षा की रकम रोककर रखी।

इसलिए एक दिन मैं लिनलिथगो के पास गया और शिक्षा पर खर्च के बारे में बात की और कहा, आप नाराज नहीं होंगे तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या मैं अकेला 50 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? उन्होंने इसे मान्य किया। फिर मैंने उनसे पूछा, इसका कारण क्या है ? उन्होंने कहा, वह कारण मैं जानता नहीं। मैंने कहा कि मेरी विद्वता इतनी बड़ी है कि मैं राजमहल के शिखर पर बैठ सकता हूँ। मुझे ऐसे आदमी चाहिये, क्योंकि वहांसे सब तरफ नजर रखी जा सकती है। हमारे लोगों का संरक्षण करना है तो ऐसे लक्ष्यवेधी लोग निर्माण होने चाहिए। बाबू क्या कर सकता है? मेरे कहने से लिनलिथगो सहमत हुए और उस वर्ष 16 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजे गए। यह बात और है कि, जैसे मटके कुछ पक्के और कुछ कच्चे होते हैं, उसप्रकार उन 16 में से कुछ कच्चे और कुछ पक्के निकले। आगे चलकर राजगोपालाचारी ने उच्च शिक्षा की योजना समाप्त कर दी।

इस देश में हमें हजारों वर्षों तक निरुत्साही बनकर रहना होगा ऐसी परिस्थिति है। यह परिस्थिति जब तक है तब तक हमारी उन्नति के लिए उत्साह निर्माण होना संभव नहीं। इस संबंध में, इस धर्म में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुस्मृती में चातुर्वर्ण बताया गया है। चातुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्यमात्र की उन्नती के लिए बहुत घातक है। मनुस्मृति में लिखा है कि, शुद्रों ने केवल सेवा करनी चाहिए। उन्हें शिक्षा की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मणोंने शिक्षा लेनी चाहिए, क्षत्रियोंने शस्त्र धारण करने चाहिए, वैश्यों ने व्यवसाय करना चाहिये और शुद्रों ने सेवा करनी चाहिये। यह व्यवस्था कौन बदल सकता है ? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को कुछ न कुछ फायदा है, परन्तु शुद्रों को क्या फायदा है ? तीन वर्ण के अलावा अन्य जातियों में क्या उत्साह निर्माण हो सकता है ? चातुर्वर्ण व्यवस्था कुछ साधारण चीज नहीं, वह परंपरा नहीं, वह धर्म है।

हिन्दू धर्म में समता नहीं। एक बार मैं गांधी से मिलने गया था तब उन्होंने कहा था कि वह चातुर्वर्ण को मानते हैं। मैंने कहा आपके जैसे महात्मा चातुर्वर्ण को मानते हैं तब यह चातुर्वर्ण कौनसा और कैसा है? (हाथ की उंगलियां एक दुसरे पर आयेगी ऐसा हाथ करके) यह चातुर्वर्ण उलटा या पुलटा, चातुर्वर्ण की शुरुवात किधर से और अंत कहां पर ? गांधीने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, देंगे भी तो क्या ? हमारा जिन लोगों ने नाश किया उनका भी इस धर्म से नाश होगा। यह मैं हिन्दू धर्म पर ऐसाही आक्षेप नहीं ले रहा हूँ। हिन्दू धर्म के कारण किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। वह धर्म ही नष्ट धर्म है।

हमारे देश में दूसरों की सत्ता क्यों आयी ? यूरोप में 1945 तक युद्ध जारी था। जितने सेना के जवान मरते थे उतने भरती किए जाते थे। उस समय कोई भी यह नहीं कह सका कि उन्होंने युद्ध में विजय हासिल की। हमारे देश में सबकुछ निराला है। क्षत्रिय मर गये तो हम समाप्त ! यदि हमें शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो यह देश परतंत्र नहीं होता। फिर कोई भी इस देश पर विजय हासिल नहीं कर सकते थे।

हिन्दू धर्म में रहकर किसी का भी कोई उद्धार नहीं हो सकता। हिन्दू धर्म की रचना के अनुसार ऊँचे वर्ण और जातियों को फायदा है, लेकिन बाकी के लोगों का क्या है ? ब्राह्मण स्त्री प्रसूत होती है तो उसकी नजर हाईकोर्ट के जज का स्थान कहाँ रिक्त है, उस पर होती है। हमारी झाड़ू लगाने वाली स्त्री जब प्रसूत होती है तब उसकी नजर झाड़ू लगाने वाले का स्थान कहाँ रिक्त है , उस पर होती है। ऐसी विचित्र रचना हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था ने की है। उसमें विकास कैसे हो सकता है ? केवल बुद्ध धम्म में ही उन्नती हो सकती है। बुद्ध धम्म में 75 प्रतिशत ब्राह्मण थे और 25 प्रतिशत शुद्र आदि थे। परन्तु बुद्ध ने बताया कि, “भिक्षुओं, तुम भिन्न-भिन्न देश और जाति से आये हो। जब नदियां अपने प्रदेश में बहती हैं तो पृथक-पृथक होती हैं, लेकिन वह जब समुद्र में मिलती हैं तब पृथक नहीं रहती, वह एक जान और एक समान हो जाती हैं। बौद्ध संघ यह समुद्र के समान है, इस संघ में सभी एक जैसे और समान हैं। “समुद्र में विलीन होने के बाद गंगा और महानदी के पानी की पहचान करना संभव नहीं है। उसी

प्रकार संघ में प्रवेश के बाद उसकी जाति नहीं रह जाती और सभी समान होते हैं। ऐसी समता बताने वाला केवल एक ही महापुरुष है और वह महापुरुष है, तथागत बुद्ध।

कुछ लोग कहते हैं कि, आपने धर्मांतर के लिए इतनी देर क्यों की? इतने दिन क्या कर रहे थे ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म समझाना यह आसान काम नहीं है। वह एक आदमी का काम नहीं है। धर्म के बारे में विचार करने वाला कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है। मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है उतनी संसार के अन्य किसी आदमी पर नहीं है। मुझे अधिक उम्र मिली तो मेरा सोचा हुआ कार्य पूरा करूँगा। (बाबासाहेब अमर रहें का जयघोष)

कुछ लोग कहेंगे कि महार बौद्ध होंगे तो क्या होगा ऐसा उन्होंने नहीं कहना चाहिये। मैं उन्हें बताता हूँ, ऐसा कहना उनके लिए धोकादायक होगा। बड़े और धनवान लोगों को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उनमें से अधिकार सम्पन्न लोगों को रहने के लिए बंगला है, उनकी सेवा करने के लिए नौकर है, उनके पास धन है, मानसम्मान है, ऐसे लोगों को धर्म के संबंध में विचार या चिंता करने की आवश्यकता नहीं।

धर्म की आवश्यकता गरीबों को है। पिड़ित लोगों को धर्म की आवश्यकता है। गरीब आदमी आशा के साथ जीता है। Hope ! जीवन का मूल आशा में है। आशा ही समाप्त हुई तब जीवन कैसा होगा ? धर्म आशावादी बनाता है और गरिबों को, पिड़ितों को संदेश देता है, “घबराओ नहीं, जीवन आशादायी होगा।” इसलिए गरीब और पिड़ित धर्म के साथ चिपका हुआ रहता है।

जब यूरोप में क्रिश्चन धर्म आया तब रोम और आसपास के देशों की परिस्थिति बहुत खराब थी। लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। उस समय गरीब लोगों को खिचड़ी बाढ़ी जाती थी। उस समय क्रिश्चन धर्म के अनुयायी कौन बने ? गरीब और पिड़ित लोग ही बने। यूरोप की सब गरीब और निम्न स्तर की जनता क्रिश्चन बनी। गिबन ने कहा कि, क्रिश्चन धर्म भाख मांगने वालोंका है। क्रिश्चन धर्म यूरोप में सबका धर्म कैसे हुआ इसका उत्तर देने के लिये आज गिबन जीवित नहीं, वरना इसका भी उत्तर उसी को देना होता।

कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि, बुद्ध धम्म महार-मांग का धम्म है। ब्राह्मण लोग तथागत को 'भे गौतम' याने 'अरे गौतम' ऐसा कहते थे। ब्राह्मण बुद्ध को इस प्रकार चिढ़ाते थे। राम, कृष्ण और शंकर की मूर्तियां विदेशों बिक्री हेतु रखी जाने पर कितनी बिकेगी यह देख सकते हैं। परन्तु बुद्ध की मूर्ति यदि बिक्री हेतु रखे तो एक भी बचेगी नहीं। (तालियां) घर के अंदर (भारत में) बहुत हो चुका, अब बाहर (संसार में) कुछ करके बतायें। संसार में प्रसिद्धि है तो केवल बुद्ध की। तब इस धम्म का प्रसार कैसे नहीं होगा? हमारे मार्ग से हम जायेंगे, आप अपने मार्ग से जायें। हमें नया मार्ग मिल चुका है। यह आशा का दिन है, यह उन्नति का और उत्कर्ष का मार्ग है। यह मार्ग नया नहीं, यह कहीं से लाया नहीं गया, यह यहीं का मार्ग है, भारत का ही मार्ग है। इस देश में 2000 वर्षों तक बुद्ध धम्म था। मुझे दुख इस बात का है कि, हमने पूर्व में ही इस धम्म को ग्रहण क्यों नहीं किया। बुद्ध ने बताये हुये तत्व अमर है परन्तु बुद्ध ने वैसा दावा नहीं किया। उसमे कालानुरूप बदल करने की व्यवस्था है। इतनी उदारता अन्य किसी धर्म में नहीं है।

बुद्ध धम्म के पतन का मुख्य कारण मुसलमानों का आक्रमण है। आक्रमण में मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ डाली। यह बुद्ध धम्म पर पहला आक्रमण था। मुसलमानों के आक्रमण से डरकर बौद्ध भिक्षु समाप्त हुए। कुछ भिक्षु तिब्बत गये, कुछ चीन में गये और कुछ कहीं और चले गए। धम्म की रक्षा के लिए उपासकों की आवश्यकता होती है। वायव्य दिशा के सीमावर्ती प्रांत में एक ग्रीक राजा था। उसका नाम था, मीलींद। यह राजा हमेशा वाद-विवाद करता था। वाद-विवाद करने में उसे रुचि थी। वह हिन्दुओं से कहता था, जो कोई वाद-विवाद करने में सक्षम है वह मुझसे वाद विवाद कर सकते हैं। उसने बहुत लोगों को निरुत्तर किया था।

एक बार उसे बौद्धों के साथ वाद-विवाद करने की इच्छा हुई तब उसने कहा कि यदि कोई बौद्ध वाद-विवाद करने में सक्षम है तो वह आ सकता है। तब बौद्धों ने नागसेन से बौद्धों की ओर से वाद-विवाद करने की विनंती की। नागसेन विद्वान था। वह बौद्ध बनने के पूर्व ब्राह्मण था। नागसेन और मिलिंद के बीच वादविवाद हुआ उसे सारा संसार किताब के रूप में जानता है। उस किताब का नाम 'मिलिंद प्रश्न' है। मिलिंद ने

प्रश्न किया था कि धर्म को ग्लानि क्यों आती है ? नागसेन ने अपने उत्तर में उसके तीन कारण बताये थे।

पहला कारण था, कोई धर्म ही अपरिपक्व होता है। उस धर्म के मूलतत्त्वों में गंभीरता नहीं होती। वह धर्म कालिक होता है, उस धर्म का अस्तीत्व केवल किसी काल तक के लिए होता है।

दूसरा कारण था, धर्म का प्रचार करने वाले लोग विद्वान नहीं है तब धर्म को ग्लानी आती है। ज्ञानी लोगों ने धर्म का ज्ञान बताना चाहिये, धर्म के प्रचारक विरोधीयों से वाद विवाद करने में सक्षम न हो तब धर्म को ग्लानी आती है।

तीसरा कारण था, धर्म और धर्म का तत्वज्ञान विद्वानों के लिए होता है। सामान्य लोगों के लिए मंदिर होते हैं, जहां जाकर वह अपने श्रेष्ठ विभूती का पूजन करते हैं।

हमने बुद्ध धम्म का स्वीकार करते समय इन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध धम्म के तत्व कालिक या किसी काल तक सिमित है ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आज दो हजार पांच सौ वर्षों के बाद भी संसार बुद्ध के सभी तत्वों को मानता है। अमेरिका में बुद्ध धम्म की दो हजार संस्थायें हैं। इंग्लैंड में तीन लाख रुपये खर्च कर बुद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में तीन-चार हजार बौद्ध संस्थायें हैं। बुद्ध के तत्व अमर हैं। फिर भी बुद्ध ने ऐसा दावा नहीं किया कि यह धम्म ईश्वर का दिया हुआ है। बुद्ध ने बताया, मेरे पिता सामान्य आदमी थे, मेरी माता सामान्य स्त्री थी। जब तुम्हे पंसद आये तभी इस धम्म का स्वीकार करो। यह धम्म आपकी बुद्धि के अनुसार स्वीकार करने योग्य लगे तभी आपने उसका स्वीकार करना चाहिए। इतनी उदारता अन्य किसी धर्म में नहीं है।

बुद्ध धम्म का मूल आधार क्या है ? अन्य धर्मों में और बुद्ध धम्म में बहुत अंतर है। अन्य धर्मों में परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध वे बताते हैं। अन्य धर्म बताते हैं कि, ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। ईश्वर ने आकाश, वायु, चन्द्र, सूर्य सब कुछ निर्माण किया। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ भी करने को बाकी नहीं रखा, इसलिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिये। क्रिश्चन धर्म के अनुसार तो मृत्यु के बाद एक निर्णय का दिन Day of Judgement होता है और उस निर्णय के अनुसार सब

कुछ होता है। ईश्वर और आत्मा इनको बुद्ध धम्म में स्थान नहीं है। बुद्ध ने बताया, संसार में सभी ओर दुःख है, 90 प्रतिशत आदमी दुःख से ग्रस्त है। उस दुःख से पिडित, गरीब आदमी को मुक्त करना यह बुद्ध धम्म का मुख्य कार्य है। कार्ल मार्क्स ने बुद्ध से भिन्न क्या बताया ? बुद्ध ने जो बताया वह आड़े तिरछे मार्ग से नहीं बताया।

भाईयो मैंने जो बताना चाहिए था वह आपको बता दिया है। यह धम्म पूरी तरह से परिपूर्ण है। उस पर कोई लांछन नहीं है। हिन्दु धर्म की ऐसी तत्वप्रणाली है कि उससे उत्साह निर्माण हो ही नहीं सकता। हजारों वर्षों से परसो तक हमारे समाज में ग्रेजुएट या विद्वान पैदा नहीं हो सका। मुझे यह बताने में कोई दिक्कत नहीं कि, मेरी शाला में सफाई करने वाली एक महिला थी, वह मराठी थी और वह मुझे छूती नहीं थी। मेरी मां कहती थी कि बड़े आदमी को मामा कहो, पोष्टमैन को मैं मामा कहता था (हंसी)। बचपन में, शाला में मुझे प्यास लगी थी। मैंने वैसा शिक्षक को बताया। शिक्षक ने मेरे मदत के लिए चपरासी को बुलाया और इसे नल तक ले जाओ ऐसा उसे बताया। हम दोनों नल तक गए, चपरासी ने नल शुरू किया तब मैंने पानी पीया। मुझे शाला में पाने को पानी नहीं मिलता था। आगे चलकर मुझे डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी देने के लिए कहा गया था परन्तु मैंने उसे अपने गले की घन्टी नहीं बनाया। मेरे समाज बंधुओं का कार्य फिर कौन करेगा, यह समस्या मेरे सामने थी, इसलिए मैं नौकरी के बंधन में नहीं बंध पाया।

व्यक्तिगत रूपसे मेरे लिए इस देश की कोई भी चीज प्राप्त करना असंभव नहीं। (तालिया) आपके सर पर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण यह बैठे हैं, उन्हे नीचे कैसे उतारा जाय यह मुख्य प्रश्न है। इसलिए इस धम्म का ज्ञान पूरी तरह तुम्हें देना मेरा कर्तव्य है। मैं किताबें लिखकर तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा और तुम्हे पूर्णत्व की स्थिति तक पहुंचाने

का पुरा प्रयास करूंगा। आपको मुझपर विश्वास करना होगा।

परन्तु आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। आपके लिए दूसरों के मन में आदर निर्माण हो, मान-सम्मान की भावना निर्माण हो ऐसी कृति आपने करनी चाहिए। इस धम्म को स्वीकार कर हम गले में बोझ लटका रहे हैं ऐसा मत सोचिये। बुद्ध धम्म की दृष्टि से भारत की भूमि अब शुन्यवत है। इसलिए हमने धम्म का पालन उत्तम तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिये। महार लोगों ने धम्म को निंदनीय स्थिती में लाकर खड़ा किया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दृढ़निश्चय करना चाहिये। हमने यदि इसे कर दिखाया तो हम अपने साथ देश का ही नहीं तो संसार का भी उद्धार करेंगे। क्योंकि बुद्ध धम्म से ही संसार का उद्धार होगा। संसार में जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती।

यह नया मार्ग जिम्मेदारी का है। हमने कुछ संकल्प लिया है, कुछ करने की ठान ली है इसे युवकों ने ध्यान में रखना है। उन्होंने केवल पेट भरने वाले नहीं बनना है। हमारी आमदनी का कम से कम 20 वां हिस्सा इस कार्य के लिए देंगे ऐसा निश्चय करना है। मुझे सबको साथ लेकर चलना है। प्रारंभ में तथागत ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षा दी और उन्हें इस धम्म का प्रचार करो ऐसा आदेश दिया। उस प्रकार आगे यश और उसके 40 मित्रों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली।

यश धनवान घराने से था। तथागत ने उसे धम्म कैसा है यह बताया - "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुखंपाय, धम्म आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यावसान कल्याणं"। उस वक्त की परिस्थिति कि अनुसार तथागत ने अपने धम्म के प्रचार का मार्ग तैयार किया था। अब हमें भी यंत्रणा बनानी होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम के बाद हर किसीने हर किसी को दीक्षा देनी है। हर कोई बौद्ध व्यक्ति को दीक्षा देने का अधिकार है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ।

“केवल स्वयं आदर्श बौद्ध बनकर कर्तव्य विमुख रहना यह सच्चे बौद्ध का लक्षण नहीं है। धम्म प्रचार के लिए निरन्तर प्रयास करना यही सच्चे एवं आदर्श बौद्ध का कर्तव्य है। बुद्ध धम्म का प्रचार एवं प्रसार करना ही मानवता की सेवा करना है।”

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

वेद और गीता

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(मद्रास, 24 मई 1944)



अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों,

मैं केवल राजनैतिक होने के कारण वाङ्मय, इतिहास और दर्शन पर प्रभुत्व के साथ बोल नहीं सकता। परन्तु वाङ्मय, इतिहास और दर्शन का अभ्यास करने के बाद मैंने अपना जो मत बनाया उसे मैं आपको बताना चाहूंगा।

हिन्दुस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सी भ्रांतियां बन चुकी हैं। बहुत से विद्वान इतिहासकारों ने कहा है कि, हिन्दुस्थान में राजनिति नहीं थी। प्राचीन भारतीयों ने केवल तत्त्वज्ञान, धर्म और आध्यात्म्य इन विषयों पर लिखने में ध्यान दिया था और वह इतिहास से और राजनिति से पुरी तरह अलिप्त थे। ऐसे भी कहा जाता है कि, हिन्दु जीवन और समाज एक विशेष पौलादी चौखट में ही घूम रहे हैं और उस चौखट का वर्णन कर दिया तो इतिहासकारों का काम खत्म हो गया। लेकिन हिन्दुस्थान के प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ने के बाद मेरा मत इन विद्वानों से एकदम अलग बन गया है। इस अभ्यास से मुझे ऐसा दिखाई दिया कि विश्व के किसी भी देश में हिन्दुस्थान के समान अधिक गतिमान राजनिति नहीं है और हिन्दुस्थान यह ऐसा एक देश है जहां जो क्रांति हुई वह संसार के अन्य देशों में नहीं हुई।

हिन्दु इतिहास के विद्यार्थियों ने एक मुलभूत बात, जिसकी इतिहासकारों से स्पष्ट भूल हुई, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि, प्राचीन हिन्दुस्थान में हुई बौद्ध और ब्राम्हण इनके बिच की लड़ाई। इतिहास के कुछ प्रोफेसरों के मतानुसार वह केवल एक पंथ के बिच की मामूली लड़ाई नहीं थी। सत्य का अर्थ क्या है इसलिए वह लड़ाई थी।

बुद्ध ने सत्य का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में बताया था। इंद्रियों के द्वारा समझ में आये वही सत्य है। दुसरे शब्दों में कहा जाये कि, कोई अधिकार प्राप्त व्यक्तिने बताई गई वस्तु ही सत्य ऐसा नहीं है। ब्राम्हणों का कहना है कि, जो वेदों में है वही सत्य है। बुद्ध क्रांतिकारक थे और ब्राम्हण प्रतिगामी, आज हम पर प्रतिगामी लोगों का वर्चस्व है। वेदों को पढ़ने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसमें जोकर की बकवास के अलावा दुसरा कुछ भी नहीं। ऐसी किताबों का

प्रमाणग्रंथ मानने को आग्रह ब्राम्हणों के जैसे चालाख लोग क्यों करते हैं? अथर्व वेद में तो केवल जादुई मंत्र हैं।

यदि ईस्लाम धर्म का इस देश में आगमन नहीं हुआ होता तो ब्राम्हण और बौद्धों की बिच की लड़ाई और अधिक समय तक जारी रहती। संसार के इतिहास में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की शिक्षा देने वाला बुद्ध ही प्रथम व्यक्ती था। उस शिक्षा का अंत हुआ है। उस शिक्षा की ही हिन्दुस्थान को सर्वाधिक आवश्यकता है। उस शिक्षा का अंत हुआ क्योंकि क्रांति पर प्रतिक्रांति की विजय हुई।

बहुत से लोग भगवद् गीता को बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड रहा है कि, वैसा मानने लायक मुझे उस किताब में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके विपरित, इस ग्रंथ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बुद्धी की कसौटी पर सही साबित नहीं होने वाली बातों को सैध्दांतीक आधार देने का प्रयास उसमें किया गया है।

राजनिति, समाज, राज्यशासन, धर्म, और बुद्धीवाद के संबंध में बुद्ध ने जिस क्रांति की शुरुवात की वह बाद में फलीभूत नहीं हो सकी। धर्म और राजनिति को एकसाथ कर, चातुर्वर्ण यह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, वह एक राजनैतिक तत्त्वज्ञान है, इसे सिध्द करने के लिए मनुस्मृति लिखी गई।

हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन का आधार बुद्धीवाद ही होना चाहिए। हर देश में राजनैतिक नेताओं की कसौटी देखी जाती है। लेकिन, गांधी को देखिए, उनको वैसी कसौटी कोई नहीं लगाता। वह जो बोलेंगे वही सही। दो वर्ष पूर्व गांधी ने कहा था, पाकिस्तान पाप है। सभी कांग्रेस वालो ने उनका समर्थन किया। अब गांधी कहते हैं, पाकिस्तान पाप नहीं, मुसलमान जो मांगेंगे उन्हें वह देना चाहिए। और अब कांग्रेस वाले उसका भी समर्थन करते हैं। हमारे सामाजिक, राजनैतिक और बौद्धीक जीवन में बुद्धीवाद को किस तरह बहकाया जा सकता है उसका यह उदाहरण है। इस परिस्थिति का यदि अंत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है।

वेद और गीता

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(पुणे, दि. 29-11-1944)



आज भाषण करने की मेरी इच्छा नहीं थी। किसीने मुझे सर तेजबहादुर सप्रु की योजना पर अभिप्राय देना चाहिए ऐसा कहा। परन्तु उस संबंध में यहां बोलने की इच्छा नहीं है। मैंने मद्रास में गीता के संबंध में जो बोल चुका हूँ उसके संबंध में पुणा के ब्राम्हणोंने नाराजी व्यक्त की है। उन्हें उत्तर देना मैं जरूरी समझता हूँ। मेरा कहना समझने के लिए पुणा में यदि आमसभा आयोजित की जाती तो उसमें मैंने अपना वक्तव्य (मत, विचार) रखा होता। परन्तु वैसा अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण मैं अपना वक्तव्य (मत, विचार) इसी समारोह में रख रहा हूँ।

वेद ईश्वर निर्मित हैं, अपौरुषेय हैं, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, ऐसा बताया जाता है। परन्तु इस बात का इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। ब्राम्हणों के अलावा अन्य किसीने भी वेदों को प्रधानता नहीं दी और अपना धर्मग्रंथ भी कभी माना नहीं। वेदों को प्रमाण मानना यह ब्राम्हणों की उत्पत्ति (Theory) है। इसका प्रमाण अश्वलायन गृह्यसूत्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है। उस समय ब्राम्हण भी वेदों को प्रमाण ग्रंथ नहीं मानते थे इसका उसमें स्पष्ट उल्लेख है। सामाजिक मुल्य निर्माण करने के पूर्व जनता पंचायत के निर्णय को स्विकार करती थी। उस समय वेदों का चौथा या पांचवा स्थान था। शबर स्वामी द्वारा जनमेजय के सुत्र पर भाष्य किया है। उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रखा है। पूर्व पक्ष में वेदों का उल्लेख है और वेद के विरोधीयों का पक्ष रखा है। शबर स्वामी ने कहा है कि ब्राम्हण वेदों को नहीं मानते थे और यह दावा किया है कि वेद की निर्मिति मुर्ख और पागलों का कार्य है। बुद्ध ने वेदों को प्रमाण कभी भी नहीं माना। वेद को प्रमाण मानने वाले धर्म को बुद्ध ने झटका दिया। बुद्ध धम्म शूद्रों का था और वह वेद को प्रमाण नहीं मानता था।

मैं गीता को बगैर पढ़े उस पर टीका करता हूँ, ऐसा आक्षेप लिया जाता है। परन्तु ये आक्षेप झूठ हैं। पिछले पंधरा

वर्षों में गीता का अभ्यास करने के बाद ही मैंने अपने विचार रखना शुरू किया है।

गीता में कुछ भी विशेष नहीं है। उसमें मुख्य रूप से तीन बातें बताई गई हैं - (1) मरना मारना, हिंसा करना क्या पाप है (2) वर्णाश्रम धर्म की जानकारी और (3) भक्ती करने से मोक्ष मिलेगा। गीता का अभ्यास करते समय केवल गीता के किताब को पढ़ने से गीता का अर्थ समझ में नहीं आयेगा; उस काल के अन्य वाङ्मय पढ़कर ही गीता का अर्थ समझना चाहिए।

इस देश के प्राचीन इतिहास के अनुसार लगभग दो हजार वर्ष तक ब्राम्हण धर्म और बुद्ध धम्म के बिच विवाद चल रहा था। इस विवाद से जो वाङ्मय निर्माण हुआ वह धार्मिक स्वरूप का न होकर राजनैतिक स्वरूप का है। देश की सत्ता के केन्द्र पर अपनी हुकूमत बनी रहे इसलिए गीता नामक ग्रंथ का जन्म हुआ।

वेदों में से थोडासा अनुवाद गीता में लिया गया है। लेकिन वेदों में भी ऐसा कौन सा ज्ञान भरा हुआ है? वास्तव में देखा जाय तो वेद दो ही हैं। एक ऋग्वेद और दूसरा अथर्ववेद। मैंने वेद अनेक बार पढ़े हैं। उनमें समाज के या मानव के उत्थान और नैतिकता के उत्कर्ष के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अर्थवेद में, औरत यदि प्रेम नहीं करती तो क्या करना चाहिए, दूसरों की औरत को कैसे वश में किया जाय, संपत्ती की लूट कैसी की जाय इनके बारे में बताया है और व्याधी तथा मृत्यू इनके संबंध में उल्लेख है। वास्तव में, वेद जैसे ग्रंथ में इन विषयों की क्या आवश्यकता थी। वेद के पुरुष सुक्त में ब्राम्हण से शूद्र तक किसने कैसा व्यवहार करना चाहिए यह दिया गया है। बुद्ध का इस संबंध में ही कटाक्ष था और इस दृष्टी से ही उन्होंने चातुर्वर्ण के संबंध में टीका की है। मारना यह क्षत्रीयों का कर्तव्य है ऐसा बताया गया है। एक ने दूसरे को मारना जरूरत हो सकती है परन्तु

कर्तव्य नहीं हो सकता। गीता के दूसरे अध्याय के 18 और 19 श्लोक में वेद का आधार लेकर आत्मा अविनाशी है, शरीर बिमारी या अन्य कारणों से नष्ट होगा ही, ऐसा विवरण है। परन्तु जरा सोचिए कि किसी खून के प्रकरण में वकिल ने जज को ऐसा बताया कि, साहब, आत्मा अविनाशी है, तब खून के संबंध में आरोपी को क्यों सजा दे रहे हैं? एक वकिल का ऐसा कहना कैसा लगेगा?

बुद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान के सामने यह दलिल ठीक पाना संभव नहीं था। बुद्ध के विचारों से सामाजिक, मानसिक और राजनैतिक क्रांती हुई और शुद्धों को उच्चपद प्राप्त हुआ। उस समय अनेक शुद्ध राजा बने इस बात का वर्णन है। ब्राह्मणों की सत्ता जाने के कारण उन्होंने भगवत् गीता के माध्यम से चातुर्वर्ण पद्धति की नींव डाली और अपनी खोई हुई सत्ता फिरसे हासिल की।

गीता के पूर्व में वर्णाश्रम धर्म की नींव कैसी थी इस संबंध में जैमिनी ने अपने पूर्व मिमांसा ग्रंथ में लिखा है। वेद पर केवल बुद्ध ने ही नहीं तो चार्वाक जैसे विद्वानों ने भी टीका की है। बुद्ध के द्वारा वेद पर किये गये हमले के फल स्वरूप ही शुद्धों का सेवा धर्म समाप्त हुआ और वह शासन कर्ता बने।

सांख्य दर्शन का सहारा लेकर श्रीकृष्ण ने चातुर्वर्ण की चौखट निर्माण की। सांख्यकारों ने त्रिगुण को मान्यता दी है और गीताकारों ने चार गुण चार वर्ण को मान्यता दी है। अब तक किसी भी विद्वान के द्वारा सांख्य कारों और गीताकारों के इस फर्क का मेल नहीं बिठाया है। श्रीकृष्ण के भगवत् गीताने चातुर्वर्ण को आधार दिया इसलिए चातुर्वर्ण अब तक

टीका हुआ है।

भगवत् गीता का ऐतिहासिक दृष्टि से अभ्यास करते समय, इस किताब को चार पट्टीया लगाई गई है, ऐसा मुझे नजर आया। मेरा मानना है कि प्रथमतः यह एक कृष्ण के वर्णन का, उसके जातभाईयों ने अर्थात् गवलीयो ने, अर्जून हतबल होने पर श्रीकृष्ण ने उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया इसलिए उसके गुणगान करने के लिए लोकगीत की रचना थी। उसमें धर्म या कोई तत्त्वज्ञान नहीं था। उस वक्त उसमें 60 श्लोक थे। उसके बाद जब यह लोग कृष्ण को ईश्वर मानने लगे तब वह स्तुतिगान, भक्तीमार्ग बन गया। इस प्रकार से कृष्ण को ईश्वर बनाया गया। उसके बाद गीता का रूपांतर होकर वह आज के स्वरूप में हो गई। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। परन्तु, जब तक आप इन ग्रंथों को प्रमाण ग्रंथ मानते रहेगे तब तक संसार में आपका उद्धार नहीं हो सकता। इस किताब में शुद्धों की निंदा और अद्वेष्टना की गई है। उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। उनमें नालायकी निर्माण हो, वह हमेशा के लिए दलित रहे ऐसी योजना बनाई गई। ऐसी किताबों को यदि आप हमें धर्मग्रंथ कह कर प्रमाण स्वरूप मानने की जबरदस्ती करते हैं तो उसे मैं कभी भी मान्य नहीं करूंगा। यह मेरा एक जीवनकार्य है। खुद समझकर उसे मुझे मेरे लोगों को समझाना है। निम्नवर्ग को निःसंतान करने वाला, उन्हें हमेशा के लिए पैर तले रखनेवाला और उन्हें योजनाबद्ध तरिके से खाई में ढकलने की कोशिश करने वाला ऐसा विशिष्ट वर्ग संसार के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देगा।

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं!



सभी से निवेदन है की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबासाहेब की जन्मभूमि महू में दि. 14 अप्रैल 2015 को बड़ी संख्या में उपस्थित होवे।

-भदन्त नागदिपंकर

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



गतांक से आगे...

रामायण

यह एक तथ्य है कि महाभारत की ही तरह रामायण के भी एक-एक कर तीन संस्करण तैयार हुए। महाभारत में रामायण के बारे में दो प्रकार के संदर्भ मिलते हैं। एक प्रसंग में रामायण का तो संदर्भ आया है, किन्तु उसके लेखक का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरे प्रसंग में वाल्मिकी रामायण का उल्लेख हुआ है, किन्तु इन दिनों जो रामायण उपलब्ध है, वह वाल्मिकी रचित नहीं है। श्री सी.वी. वैद्य के मतानुसार :

‘वर्तमान रामायण वाल्मिकी द्वारा लिखित रामायण नहीं है, चाहे इसे इसी रूप में महान चिंतक और भाष्यकार कटक ने ही क्यों न स्वीकार किया हो। कट्टर से कट्टर विचारक भी इस तथ्य को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाएगा। चाहे कोई वर्तमान रामायण को सरासरी तौर पर ही क्यों न पढ़े, वह उसमें आयी असंगतियों को देखकर पूर्व प्रसंगों में परस्पर संबंधहीनता देखकर या काफी मात्रा में उपलब्ध नूतन, और पुरातन, दोनों प्रकार के विचारों के गठबंधन को देखकर हतप्रभ रह जाएगा। यह बात रामायण के बंगाल या बंबई वाले किसी भी पाठ में देखी जा सकती है। इन सब बातों को देखकर कोई भी इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेगा कि वाल्मिकी की रामायण में आगे चलकर बहुत फेर-बदल हुआ।’

महाभारत की ही तरह रामायण की कथावस्तु में भी कालांतर में क्षेपक जुड़ते गए। आरंभ में रामायण की कथा मात्र इतनी ही थी कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, इसलिए राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। अगले संस्करण में इस कथा में कुछ उपदेश भी जुड़ गए। तब एक विशुद्ध ऐतिहासिक काव्य के स्थान पर यह कृति भी उपदेशात्मक बन गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों के सही नियमों की शिक्षा देना था। जब इसका तीसरा संस्करण बना तो यह भी महाभारत की ही

तरह दंतकथाओं, ज्ञान, शिक्षा, दर्शन तथा अन्य कलाओं और विज्ञानों का भंडार बन गई।

रामायण की रचना कब हुई, इसके बारे में एक सुस्थापित कथन यह है कि राम वाली घटना पांडवों वाली घटना से अधिक पुरानी है, किन्तु रामायण और महाभारत का लेखन-कार्य साथ ही चला होगा। हो सकता है कि रामायण के कुछ अंश महाभारत से पहले लिखे गए हों, किन्तु इस बात में किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता कि रामायण का अधिकांश भाग महाभारत के अधिकांश भाग के लिखे जाने के बाद ही लिखा गया होगा।

पुराण

इस समय उपलब्ध पुराणों की संख्या अठराह है। शुरु में पुराणों की संख्या इतनी नहीं थी। परंपरागत मान्यता के अनुसार, और इस मान्यता में संदेह की गुंजाइश नहीं है, सबसे पहले केवल एक पुराण था। यह भी माना जाता है कि यह पुराण वेदों से भी पुराना था। अथर्ववेद में इस पुराण का उल्लेख है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यह वेदों से भी पुराना है। यह एक कथा थी, जिसे राजा को शतपथ के लिए जानना आवश्यक था। ब्राम्हण कहता है कि यज्ञ के दसवें दिन अध्वर्यु द्वारा इसे राजा को सुनाने का विधान रहा।

अठारह पुराणों के जन्म की कथा व्यास से संबंधित है। कहते कि व्यास ने ही उस मुल पुराण को काट-छांटकर, अर्थात् उसे घटा-बढ़ाकर उससे ही अठारह पुराण बना दिए। इस तरह इन अठारह पुराणों के निर्माण की घटना को पुराणों के विकास का द्वितीय चरण माना जा सकता है। इन अठारह पुराणों में से प्रत्येक पुराण के आरंभ के अंश को जिसे व्यास ने अभिव्यक्त या प्रकाशित किया, आदि पुराण कहते हैं। मुल कथा व्यास द्वारा रचित है। जब व्यास इन अठारह पुराणों की रचना कर चुके, तब उन्होंने इनको अपने शिष्य रोमहर्ष को सुनाया। रोमहर्ष द्वारा रचित पुराणों का तीसरा संस्करण

बना है। रोमहर्ष के छह शिष्य थे। इनमें से तीन शिष्यों, कश्यप, सावर्णी और वैशम्पायन, ने भी अपने-अपने संस्करण तैयार किए, जिन्हें पुराणों का चौथा संस्करण कहा जा सकता है। ये तीनों संस्करण अलग-अलग इन्हीं तीनों के नाम से जाने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार पुराणों में संशोधन राजा विक्रमादित्य के शासन-काल में हुआ।

अब पुराणों की कथा वस्तु के बारे में विचार करें। प्राचीनकाल से ही पुराण ज्ञान की एक शाखा रहा है। इसे इतिहास से भिन्न माना गया है। इतिहास का अर्थ था किसी शासक राजा से संबंधित प्राचीन घटनाओं का वर्णन। आख्यान से तात्पर्य था, आंखों देखी घटनाओं का मौखिक रूप से कथन। इसी तरह उपाख्यान सुनी हुई कथों के पुनर्कथन को कहते थे। पूर्वजों, प्रकृति और ब्रम्हांड विषयक गीतों को गाथा कहा जाता था।

श्राद्ध और कल्प विषयक प्राचीन कर्मकांडों को कल्पशुद्धि कहते थे। ज्ञान की इन शाखाओं से पुराण भिन्न माने जाते थे। पुराण में ये पांच विषय होते थे : 1. सर्ग, 2. प्रति सर्ग, 3. वंश, 4. मन्वंतर और 5. वंशचरित। सर्ग का अर्थ है ब्रम्हांड की रचना, प्रति सर्ग का अर्थ है ब्रम्हांड का विलय। वंश से तात्पर्य है जीवन का क्रम, अर्थात् वंशावली। विभिन्न मनुओं के युगों को मन्वंतर कहते थे, विशेष रूप से उन चौदह मनुओं की परंपरा को जिनसे इस पृथ्वी पर सृष्टि का विकास हुआ माना जाता है। वंशचरित से तात्पर्य है, राजा-महाराजाओं की पीढ़ियों का वर्णन।

पुराणों की विषय-वस्तु के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ लगता है कि क्योंकि आज पुराण जिन रूपों में मिलते हैं, उनमें उनकी विषय-वस्तु उपर्युक्त पांच विषयों तक ही सीमित नहीं है। उनमें इन पांच निर्धारित विषयों के अतिरिक्त भी उनके नए विषय सम्मिलित हो गए हैं। वस्तुतः पुराणों के विषय-क्षेत्र की अवधारणा में ही इतना परिवर्तन हो गया है कि कुछ पुराणों में तो पूर्व निर्धारित विषयों में से किसी का विवेचन मिलता ही नहीं, उल्टे उनमें केवल नए अथवा अतिरिक्त विषयों का विवेचन ही हुआ है। इन अतिरिक्त विषयों में निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :

1. स्मृति धर्म- (क) वर्णाश्रम धर्म, (ख) आचार, (ग) अह्निका, (घ) भाष्याभाष्य, (ङ.) विवाह, (च) अशौच, (छ)

श्राद्ध, (ज) द्रव्यशुद्धि, (झ) पताका, (ट) प्रायश्चित, (ठ) नरक, (ड) कर्म विपाक, और (द) युग-धर्म

2. व्रत धर्म- व्रत रखना, पर्व का पालन।

3. क्षेत्र धर्म- तीर्थ यात्रा, और

4. दान धर्म- दान-पुण्य करना

इनके अतिरिक्त दो विषय और हैं, जिनके बारे में इन पुराणों में बहुत-कुछ कहा गया है।

पहला विषय किस मत या पंथ विशेष की पुजा-आराधना से संबंधित है। हर पुराण का कोई न कोई इष्ट देवता है और वह पुराण उसी देवता की आराधना पद्धति अपनाने और उसी देवता को अपना इष्ट बनाने पर बल देता है। अठारह पुराणों में से पांच पुराण विष्णु की आराधना पर बल देते हैं। आठ शिव पुजा पर एक ब्रम्हण की पुजा पर एक सूर्य की पुजा पर दो देवी की पुजा पर और एक गणेश की पुजा पर।

पुराणों की कथा-वस्तु का दुसरा सर्वाधिक प्रिय विषय है, ईश्वर के अवतार। पुराणों में भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, और ईश्वर ने कौन-कौन से अवतार धारण किए थे, इसमें भेद किया गया है। जहां तक ईश्वर के स्वरूप का प्रश्न है, पुराण कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता तो एक ही है किन्तु उसे दो नामों से जाना जाता है। पर जब ईश्वर मानव या पशु के रूप में अवतार लेता है, तो वह कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य दिखाता है। अवतारवाद के बारे में जानने का सर्वाधिक उपयोगी स्रोत विष्णु पुराण है, क्योंकि केवल विष्णु ने ही समय-समय पर अवतार लेकर अनेक अलौकिक कार्य किए हैं। पुराणों में अवतारवाद के इसी विषय पर अत्यंत विस्तार से चर्चा मिलती है।

यदि यह कहा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इन्हीं नए विषयों के विस्तार से जुड़ जाने के कारण पुराणों के असली स्वरूप को पहचानना कठिन हो गया है।

पुराणों के वास्तविक रचयिता कौन थे, यह प्रश्न भी विचारणीय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रचयिताओं के नाम बदलते रहें हैं। प्राचीन हिंदुओं में साहित्य सृष्टियों के दो अलग-अलग वर्ग थे। एक वर्ग ब्रम्हणों का था, तो दूसरा सुतों का। ये सुत ब्रम्हणेतर थे। दोनों वर्गों ने अलग-अलग प्रकार के साहित्य की रचना की। सुतों का एकाधिकार पुराणों पर

था। इन पुराणों की रचना अथवा इनके कथा-वाचन से ब्राम्हणों का कोई संबंध नहीं था। यह केवल सुतों के लिए आरक्षित था और इससे ब्राम्हणों का कोई संबंध नहीं था। यद्यपि सुतों ने पुराणों की रचना और उनके वाचन का पैतृक अधिकार प्राप्त कर लिया था और यह कार्य उनके लिए निर्धारित हो गया था, किन्तु एक समय ऐसा आया जब ब्राम्हणों ने सुतों के हाथ से यह व्यवसाय छीनकर उस पर अपना एकाधिकार जमा लिया। इस प्रकार पुराणों के रचयिता बदल गए। सुतों के स्थान पर अब ब्राम्हण थे जो इनके रचयिता हो गए।

जब पुराणों पर ब्राम्हणों का वर्चस्व स्थापित हो गया, तभी कदाचित् इनके अंतिम संस्करण तैयार हुए हैं और उनमें नए-नए विषय जोड़ दिए गए। नए-नए विषय जुड़ जाने से इनमें जो परिवर्धन-संशोधन हुए, वे अतभूतपूर्व थे। ब्राम्हणों ने परंपरा से प्राप्त पुराणों में अनेक नए अध्याय जोड़ दिए, पुराने अध्यायों को बदलकर नए अध्याय लिख दिए और पुराने नामों से ही अध्याय रच दिए। इस तरह इस प्रक्रिया से कुछ पुराणों की पहले वाली सामग्री ज्यों की त्यों रही, कुछ की पहले वाली सामग्री लुप्त हो गई, कुछ में नई सामग्री जुड़ गई तो कुछ नई रचनाओं में ही परिवर्तित हो गए।

पुराणों के रचना-काल का निर्धारण टेढ़ी खीर है। ब्राम्हणों ने जिन-जिन इतिहास ग्रंथों की रचना की, उनमें निर्माण-तिथि का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। पुराण भी इसके अपवाद नहीं रहे। इसलिए पुराणों के रचना-काल का निर्धारण भी उन अन्य साक्षों के आधार पर ही किया जा सकता है, जिनसे संबंधीत घटनाओं की तिथियां मान्य हो चुकी हैं। कौन सा पुराण कब लिखा गया, इस विषय पर उनकी बारीकी से अभी तक विचार नहीं हुआ है, जितना अन्य ब्राम्हणवादी साहित्यिक विधाओं पर हो चुका है। विद्वान शोधकर्ताओं ने वैदिक साहित्य पर जितना अधिक ध्यान दिया है, उतना पुराण साहित्य पर नहीं दिया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक केवल श्री हजारा ने ही पुराणों के काल-निर्धारण के क्षेत्र में किया है। उनके काम का सारांश नीचे दिया जा रहा है :

पुराण	रचना-काल
1. मार्कंडेय	सन 200-600 के बीच

2. वायु	सन 200-500 के बीच
3. ब्रह्मांड	सन 200-500 के बीच
4. विष्णु	सन 100-350 के बीच
5. मत्स्य	कुछ अंश लगभग सन 325 कुछ अंश लगभग सन 1100
6. भागवत	सन 500-600 के बीच
7. कूर्म	सन 550-1000 के बीच
8. वामन	सन 700-1000 के बीच
9. लिंग	सन 600-1000 के बीच
10. वराह	सन 800-1500 के बीच
11. पद्म	सन 600-950 के बीच
12. बृहन्नारदीय	सन 875-1000 के बीच
13. अग्नि	सन 800-900 के बीच
14. गरुड़	सन 850-1000 के बीच
15. ब्रह्म	सन 900-1000 के बीच
16. स्कंद	सन 700 के बाद
17. ब्रह्म वैवर्त	सन 700 के बाद
18. भविष्य	सन 500 के बाद

पुराणों के रचना-काल का इससे अधिक सटीक निर्धारण फिलहाल संभव नहीं है। नई खोज से इस अवधि की ऊपरी और निचली, दोनों सीमाओं का पुनर्निर्धारण तो हो सकता है पर इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस अवधि में कोई आमूल परिवर्तन हो जाए, अर्थात् शताब्दियों का अंतर आ जाए।

उपर्युक्त संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह बात साफ हो जाती है कि पुराण साहित्य की रचना बुद्धेतर काल में हुई थी। सर्वेक्षण से एक और महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होता है कि पुराण साहित्य पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राम्हणों की विजय के बाद के काल में लिखा गया था। इस सर्वेक्षण से एक बात और सामने आती है, वह यह है कि व्यास ने ही महाभारत की रचना की, व्यास ने ही गीता रची और व्यास ने ही पुराण भी लिखे। महाभारत में अठारह पर्व हैं, गीता में अठारह अध्याय हैं और पुराणों की संख्या भी अठारह है। तो क्या यह संख्या संयोग मात्र है? या यह एक सुनियोजित, अर्थात् सोची-समझी युक्ति या किसी विद्वत गोष्ठि में हुई सहमति का परिणाम?



बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म-दीक्षा

चौथा भाग

जन्मभूमि का आवाहन

1. शुद्धोदन से (अन्तिम) भेंट

1. सारिपुत्त और मौद्गल्यायन की दीक्षा के बाद दो महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहें।
2. यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान हैं, उनके पिता शुद्धोदन ने संदेश भिजवाया - "मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धर्माभ्यास पान करने को मिला है उसके पिता को नहीं, उसके सम्बन्धियों को नहीं।"
3. शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदासी ही यह संदेश लेकर गया था।
4. संदेश-वाहक ने आकर कहा - "हे लोक-पूज्य! आप का पिता आपको देखने के लिये उतना ही उत्सुक है जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिये।"
5. तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षुसंघ को साथ ले पितृ-गृह की ओर प्रस्थान किया।
6. बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदासी तेजी से चलकर पहले पहुँच गया ताकि शुद्धोदन को यह सूचना दे सके कि बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं।
7. शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ- जो बोधी प्राप्त करने के लिये गृह-त्याग कर चला गया था अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है।
8. अपने सम्बन्धियों और मन्त्रियों को लेकर शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिये गये। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा, उसके

सौन्दर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े खुश हुए। किन्तु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सकें।

9. निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल-सूरत वहीं थी। महान् श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी! वह महामुनि, अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक् सम्बुद्ध था, अर्हंत था, लोक-गुरू था।
10. अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोदन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला -- "तुम्हें देखे सात वर्ष बीत गये। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे!"
11. तब शुद्धोदन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखे फाड़फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे किन्तु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ, और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोदन तथा प्रजापति-दोनों के दोनों निराश हो गये।
12. इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था -- अपने दुःख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुःखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किन्तु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा।
13. "मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूँ", उसने कहा, "किन्तु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे।"

14. तथागत ने सान्त्वना दी - "मैं जानता हूँ राजन् ! तुम्हारा हृदय प्रेम से गद्गद् हैं। तुम्हें अपने पुत्र के लिये महान दुःख हैं। लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़ कर चला गया, उसी प्रेम के अन्तर्गत तुम अपने सारे मानव-बन्धुओं को बांध लो।
तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी, तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है; तुम्हें मिलेगा वह जो धम्म का मार्ग-दर्शक है और तुम्हें मिलेगा वह जो शान्ति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जायेगा। "
15. जब शुद्धोदन ने अपने पुत्र, बुद्ध के ये वचन सुने वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उस के हाथ जुड़े थे, जब उसने कहा -- "अद्भुत परिवर्तन है! संतप्त हृदय शान्त हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किन्तु, अब मैं तुम्हारे महान् त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिये यही उचित था कि तुम अपनी महान् करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख-भोग का त्याग करते और धर्म-राज्य के संस्थापक बनते। अब धर्म-पथ के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष-मार्ग का उपदेश दे सकते हो।"
16. भिक्षु संघ सहित बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोदन वापस घर लौट आया।
17. अगले दिन तथागत ने भिक्षा-पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिये निकले।
18. बात तुरन्त फैल गई :- जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठ कर सवारी के लिये निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा-पात्र हाथ में लिये घर-घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल-मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा-पात्र भी मिट्टी का ही है।
19. इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोदन घबराया हुआ दौड़ा गया ; तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो ? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को भोजन करा सकता हूँ ?
20. तथागत का उत्तर था - "यह हमारी वंश-परम्परा है। "
21. "यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है।"
22. "राजन! निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है। किन्तु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं।"
23. शुद्धोदन निरुत्तर था। तथागत कहते रहे -- "किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उस में जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धम्म-निधि अर्पण करता हूँ।"
24. और तब तथागत ने अपने पिता को कहा - "यदि तुम अपने आपको इन मिथ्या स्वप्न-जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि तुम धम्म-पथ पर ही चलो तो तुम्हें अक्षय-सुख प्राप्त होगा।"
25. शुद्धोदन ने निःशब्द रहकर वे शब्द सुने और बोला, "पुत्र ! मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूँगा।"

2. यशोधरा और राहुल से भेंट

1. तब तथागत को शुद्धोदन घरमें लिवा ले गया। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया।¹
2. लेकिन राहुल-माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोदन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा: - "मैं किसी योग्य समझी जाऊँगी तो सिद्धार्थ यहीं मुझे मिलने आयेंगे।"
3. अपने सभी सम्बन्धियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पुछा - "यशोधरा कहां है?" उत्तर दिया गया - "उसने आने से इनकार कर दिया है।" सिद्धार्थ तुरन्त उठे और सीधे उसके भवन में गये।
4. सारिपुत्त और मौद्गल्यायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गये थे, तथागत ने कहा - "मैं तो मुक्त हूँ। लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं हैं। इतने लम्बे अर्से तक मुझे नहीं देखा है, इसलिये वह बहुत दुःखी है। जब तक उसका दुःख आंसुओं के मार्ग से बह न जायेगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह


- तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं।”
5. यशोधरा , सोच-विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति-बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके।
 6. वह यह भूल गई कि उसका स्नेहभाजन महामानव बुद्ध है, लोक-गुरु हैं, सत्य का महान् उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर-जोर रोने लगी।
 7. लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोदन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वह उठी और बड़ी भक्ति-भावना सहित एक और बैठ गई।
 8. शुद्धोदन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा - “इसका यह व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन सात वर्षों में , जब से तुम इसे छोड़ कर चले गये, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया; जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगन्धित द्रव्यों का परित्याग कर दिया, इसने भी वैसा ही किया; और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गये, तब से यह भी मिट्टी के पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी।
 9. “यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, तो यह सब इसके साहस की ही परिचायक है।”
 10. तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान् पुण्य की याद दिलाई और उस महान् साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्या के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यह उसीका “कर्म” था और यह महान् पुण्य का परिणाम था।
 11. यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी। किन्तु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई उसने उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार को चार चाँद लगा दिये और उसे भी अनुपम पद प्रदान किया।
 12. तब यशोधरा ने सात वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली:-
 13. “यह श्रमण, जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास नाश न हाने वाली निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जा और वह नाश न होने वाली निधि माँग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है।”
 14. राहुल बोला --“मेरा पिता कौन है ? मैं तो एक बाबा शुद्धोदन को ही पिता जानता हूँ।”
 15. यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया - “वह देख, वह तेरे पिता हैं, और शुद्धोदन नहीं।” उस समय तथागत भिक्षुसंघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहाँ से दूर नहीं थे।
 16. तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक, किन्तु बड़े ही स्नेह-स्निग्ध स्वर में बोला --
 17. “क्या तुम मेरे पिता नहीं हो ?” और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा - “श्रमण! तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है!” तथागत निःशब्द रहे।
 18. जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए । राहुल पीछे-पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार माँगता रहा ।
 19. राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही।
 20. तथागत ने सारिपुत्त की ओर देखा और कहा - “राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिन्तार्ये लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है।”
 21. तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले - “सोना, चाँदी और हीरे मेरे पास नहीं हैं। किन्तु यदि तू आध्यात्मिक - निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धम्म का मार्ग ही है। क्या तू उन के संघ में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो ऊँचे से ऊँचा आदर्श हैं - ऊँचे से ऊँचा सुख है, और जो प्राप्य है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ?”
 22. राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा -- “प्रविष्ट होना चाहता हूँ।”

23. जब शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु-संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश हुआ।

3. शाक्यों द्वारा स्वागत

1. जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में विभक्त हैं -- कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल।
 2. इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई, जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जब कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था।
 3. जो उस समय उसके विरोधी थे उन्होंने अभी भी उसकी महानता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक-एक तरुण उसके संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सबने अब संघ में दीक्षित होकर, तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया।
 4. जिन परिवारों ने अपने अपने यहां से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था।
 5. शुक्लोदन के दो पुत्र थे, एक था अनुरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम।
 6. तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया -- "या तो तुम गृह-त्याग करो, या मैं करता हूँ। अनुरुद्ध का उत्तर था - मैं सुकुमार हूँ। मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है। तुम त्याग कर दो।"
 7. "लेकिन अनुरुद्ध! मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है ? पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है। जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है। जब यह हो गया, तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है। जब यह हो गया, तब पानी निकलवाना होता है। जब यह हो गया, तब पौधों की निराई करानी होती है। जब यह हो गया, तो फसल को कटवाना होता है। जब यह हो गया, तो फसल को
- ढोकर उठवा ले जाना होता है। जब यह हो गया, तो उसकी पूली बंधवाना होता है। जब यह हो गया, तो बैलों से रौंदवाना होता है। जब यह हो गया, तो तिनके पृथक कराना होता है। जब यह हो गया, तो फसल को कोठों में भरवाना होता है। जब यह हो गया, तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है। और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है।
 8. "कामों का तो कोई अन्त नहीं। आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह! हमारे काम कब खत्म होंगे ? ओह! हमारे काम कब समाप्त होंगे ? इन पाँचो इन्द्रियों और उनके भोगों के रहते हुए, हम कब आराम से रह सकेंगे ? हाँ, प्रिय अनुरुद्ध कामों का तो कोई अन्त नहीं। आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं।"
 9. अनुरुद्ध बोला -- "तो गृहस्थी को तुम ही संभालो। मैं ही घर से बेघर होता हूँ।"
 10. तब अनुरुद्ध शाक्य अपनी मां के पास गया -- मां, मैं गृह-त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दे दो।"
 11. अनुरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी मां बोली - "अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूँ कि मृत्यु आयेगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किन्तु मैं जीते जी तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ ?"
 12. दूसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी मां से प्रार्थना की।
 13. उस समय शाक्य जनपद पर भद्विय शाक्य राज्य करता था। वह अनुरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनुरुद्ध की मां ने सोचा कि भद्विय-शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़ कर नहीं जा सकता। इसलिये बोली -- "अनुरुद्ध! यदि शाक्य राजा भद्विय राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो जा सकता है।"
 14. तब अनुरुद्ध भद्विय के पास पहुँचा और उससे कहा -- "मित्र ! मेरी प्रव्रज्या में तुम बाधक हो रहे हो।"

15. "मित्र ! यदि मैं बाधक हूँ, तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। "
16. "प्रिय मित्र! आ, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें।"
17. भद्विय बोला -- "मित्र ! मैं करूँगा। मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ। और जो कुछ तुम मुझे करने के लिये कहो, मैं करूँगा। तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ।"
18. "मित्र ! मां ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित होओ, तो मैं भी हो सकता हूँ। और तुमने अभी अभी कहा है ' यदि मैं बाधक हूँ, तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। ' इसलिए मित्र! आओ, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें।"
19. तब शाक्य-राजा भद्विय अनुरुद्ध से बोला - "मित्र ! सात वर्ष तक प्रतीक्षा करो। सात वर्ष की समाप्ति कर हम इकट्ठे प्रव्रजित होंगे।"
20. "मित्र! सात वर्ष का समय बहुत होता है। मैं सात वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता।"
21. भद्विय ने छः वर्ष, पाँच वर्ष और इस प्रकार घटाते घटाते एक वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर ग्यारह महीने, इस महीने और इस प्रकार घटाते घटाते पन्द्रह दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनुरुद्ध का एक ही उत्तर था - "इतना समय बहुत होता है।"
22. तब भद्विय बोला - "अच्छा मित्र! एक सप्ताह प्रतीक्षा करो। इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूँ।"
23. अनुरुद्ध बोला - "सात दिन बहुत नहीं होते। इतने दिन मैं प्रतीक्षा करूँगा।"
24. तब शाक्य राजा भद्विय, अनुरुद्ध, आनन्द किम्बिल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगिणी सेना सहित उद्यान-क्रिड़ा के लिये साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ ले घर से निकले। उपाली नाई भी साथ हो लिया। सब मिलाकर उनकी संख्या सात हो गई।
25. कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापिस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुन्दर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले -- "उपाली ! तुम वापिस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं।" और वे चले गये।
26. वे चले गये और वापिस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली।



Buddha SPIRITUAL PARK

महामाया नगरी

105 फुट विशाल बुद्ध मुर्ती

नागपुर-जबलपुर सुपर एक्सप्रेस हायवे सिहोरा (कन्हान) पर

आईये बुद्धा स्पिरीच्यूल पार्क से लगकर प्लॉट बुक करे और बुद्धमय वातावरण निर्मित करे

Project by : Shivli Bodhi Infrast. PVT. Ltd.

Contact : Manish Bagde- 09370516530, Paras Bagde-09303744268

► मोदी का विदेश दौरा

जब से केन्द्र में मोदी सरकार बनी, चाहे सरकार की नीति हो या भाजपा के कार्यकलाप, सब में एक ही उद्देश्य नजर आता है, वह है भारत को हिन्दु राष्ट्र बनाना। भारत की आंतरिक गतिविधियों के अलावा विदेश नीति भी हिन्दु नीति के रूप में दिखाई दे रही है। ब्राह्मणवादी जानते हैं कि संसार के दूसरे धर्मों से हिन्दु धर्म को धोखा नहीं है। केवल बुद्ध धर्म ही हिन्दु धर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। भारत में ब्राह्मणवादीयों ने बुद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए दो तरह की नीतियां अपनाई हैं, एक बुद्ध धर्म के प्रभाव को कम करना और दूसरी बुद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद की मिलावट करना। बाबासाहेब के परिनिवारण के बाद इन दो नीतियों के तहत प्रतिक्रांति की शुरुवात हुई है। मोदी सरकार आने के बाद यह प्रतिक्रांति चरम सिमा की ओर बढ़ रही है। भारत के अलावा तीन राष्ट्रों में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ है और जो राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र हैं उन्हें भी ब्राह्मणवाद से प्रभावित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। विश्व हिन्दु परिषद के प्रचारक अमेरिका से भारत लौट आये हैं। उन्होंने अनेक बौद्ध राष्ट्रों से संपर्क स्थापित किये हैं और उन राष्ट्रों में ब्राह्मणवादी विचारधारा फैलाकर बुद्ध धर्म का प्रभाव कम करने की कोशिश उनके माध्यम से की जा रही है। उसी प्रकार की कोशिश सरकार का सहारा लेकर मोदी के माध्यम से की जा रही है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सर्व प्रथम भूतान और नेपाल गये और उसके बाद जापान गये। भूतान और नेपाल में बुद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव है और जापान बौद्ध राष्ट्र है। उन्होंने दिखावे के लिए बौद्ध मंदिरों को भेंट दी। उन्होंने भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक मदत मांगी। भारत के बड़े उद्योगपतियों का डेलिगेशन भी उनके दौरे के समय जापान गया हुआ था। इन सब के अलावा वह हिन्दु एजेन्डा नहीं भुले। उन्होंने गंगा की सफाई के आर्थिक मदत मांगी तथा वहां के सम्राट को गीता भेंट की। समतावादी राष्ट्र के प्रमुख को विषमता की शिक्षा देने वाली गीता भेंट करना यह किस उद्देश्य को दर्शाता है, इसे समझना जरूरी है।

► मोदी राज में भारत का इतिहास विकृत हो सकता है

इंडियन कांऊंसिल ऑफ हीस्टॉरीकल रिसर्च (ICHR) नामक संस्था, जिसका कार्य इतिहास की खोज कर उसे वैज्ञानिक दृष्टि से लिखना है। इस संस्था के अध्यक्ष येल्लप्रगडा सुदर्शन राव को बनाया गया है। राव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के आंध्रप्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं।

इंडियन कांऊंसिल ऑफ हिस्टॉरीकल रिसर्च इस राष्ट्रीय स्तर की संस्था की स्थापना 1972 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य ऐसा इतिहास लिखना है जो केवल राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से न होकर काल्पनिक आधार पर अंधानुकरण और तथ्य हिनता से मुक्त हो। इस संस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार आर एस शर्मा, रोमिला थापर, सतिष चंद्र, अरफान हबीब और बिपिन चंद्र का उल्लेखनिय योगदान रहा है।

बाय एस. राव के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा कि, वह ऐसे इतिहासकार हैं जिनमें न तो दृष्टि है और न ही वह विद्वान हैं। उनका कार्य केवल भारत की कथाओं के इतिहास पर है और इस प्रकार का प्रयास भारतीय इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान को कम करने की दिशा में है। उन्होंने चिता व्यक्त की कि इसका भविष्य के संशोधन पर दुष्परिणाम होगा। इससे साफ होता है कि, नालायक व्यक्ती को इतिहास संशोधन की सर्वोच्च संस्था का मुखिया बना दिया गया है। रोमिला थापर ने लगभग 6 दशक तक भारत के पारंपरिक किताबों का अध्ययन किया। उनका मानना है कि भारत के पारंपरिक किताबों में समय के साथ लिखान को बढ़ाया गया। इसलिए उन्हें किसी विशेष तारिख पर बनाया गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। उन्हें डर है कि कहीं इन पारंपरिक कथाओं को ऐतिहासिक बताकर उनके घटनाओं की तारिख निश्चित की जा सकती है।

रोमिला थापर मानती है कि, बाय एस. राव की नियुक्ती

से इंडियन कांऊंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च को धोखा है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा उत्पन्न किया गया था। 1999 में सरकार का इंडियन कांऊंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च के कार्यों में सिधा देखल था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कहने पर इतिहासकार के.एन.पनिकर और सुमित सरकार के शोध ग्रंथों प्रकाशीत करने की रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रायोजित तत्कालीन सरकारने इतिहास के वैज्ञानिक और तार्किक संशोधन पर रोक लगाई थी और इतिहास के शोधकर्ताओं को कम्युनिष्ट कहा गया था। इस अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब भी उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। भारत के सही इतिहास पर खोज कर उसे प्रकाशीत करने की बजाय काल्पनिक और आधारहीन पंरपारिक कथाओं को खासकर रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक किताबे बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार जिनकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नहीं है ऐसी हिन्दु कथाओं प्रमाणित करने की गलत कोशीश की जायेगी और सही इतिहास को विकृत किया जायेगा। इसी कारण अयोग्य होते हुये भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा के वायू एस. राव को इंडियन कांऊंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च का अध्यक्ष बनाया गया है।

► काले धन को रोकने के लिए तथा विदेशों से काला धन भारत में लाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं

विदेशों से काला धन भारत में लाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) का गठन करने का आदेश सरकार को दिया गया था। मनमोहन सरकार द्वारा एस.आई.टी. का गठन करना टाल दिया गया था। चुंकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आई.टी. के गठन के लिए दी गई समय सिमा समाप्त हो रही थी इसलिए मजबूरी वश मोदी सरकार को सरकार गठन होते ही एस.आई.टी. का गठन करना पडा। मोदी सरकार द्वारा अपनी योजना के तहत यह कदम नहीं उठाया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी थी इसलिए यह कदम

उठाया गया। परन्तु प्रचारीत यह किया गया कि विदेशों से काला धन भारत में लाने के लिए मोदी सरकार की यह पहली पहल है। मोदी सरकार के सौ दिन पुरे हो गये परन्तु विदेशों से काला धन भारत में लाने की कोई भी योजना नहीं बनाई गई। इसी प्रकार काले धन के निर्माण को रोकने के लिए भी मोदी सरकार ने कोई पहल नहीं की। सरकार की इसे करने की इच्छा भी नहीं है यह उनकी निति से ही स्पष्ट होता है। इस सरकार की पूंजीपति समर्थक निति है और पूंजीपति ही अक्सर काला धन इकट्ठा करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में सर्वाधिक धन खर्च किया है और इस धन की पूर्ति पूंजीपतियों ने की है। जिन्होंने उन्हे मदत की, सरकार उनकी मदतगार होना स्वाभाविक है। जनता ने भाजपा को मोदी ने किए गये वादों के आधार पर मतदान किया है। भारत की जनता भोली है, वह विचार नहीं करती, विश्वास करती है। इसलिए उसे मुखर्ष बनाया जाता है। पूंजीपति चतुर है, नफा-नुकसान के बारे में सोचता है। इसलिए उसे मुखर्ष नहीं बनाया जाता और मदत के बदले में मदत की जाती है।

► शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार उदासीन

शिक्षा से मानव का विकास होता है इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक खर्च करे। इसी प्रकार देश के नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो इसलिए इस क्षेत्र में भी सरकार ने अधिक खर्च करना चाहिए। परन्तु इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत सरकार का योगदान अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के निचे दिए गये आकड़ों से यह स्पष्ट होता है।

शिक्षा पर खर्च (2012 में)

देश	कुल सरकारी खर्च का प्रतिशत	सकल घरेलु आय का प्रतिशत
भारत	11.3	3.4
ब्राजील	14.6	5.8

अर्जेंटीना	15.3	6.3
मेक्सिको	19.6	5.2
दक्षिण आफ्रीका	20.6	6.6
थायलैंड	31.5	7.6

स्वास्थ्य पर खर्च (2011-12 में)

देश	कुल सरकारी खर्च का प्रतिशत	सकल घरेलु आय का प्रतिशत	प्रतिव्यक्ती पर सरकारी खर्च (डॉलर में)
भारत	33.1	4.0	61
दक्षिण आफ्रीका	47.9	8.8	645
मेक्सिको	51.8	6.1	618
ब्राजील	46.4	9.3	1056
अर्जेंटीना	69.2	8.5	995
थायलैंड	76.4	3.9	213

► पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने और जनता की आवाज बंद करने के लिए सरकारी इंटेलेजन्स एजेन्सी का उपयोग

भारत में आई.बी. नामक सरकारी संस्था जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकारी इंटेलेजन्स का काम करती है। इस एजेन्सी से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार जनहित में कदम उठाती है। परन्तु फ्रंटलाइन नामक अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित लेख को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि आई.बी. आम जनता के हित में नहीं परन्तु संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के हित में और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है।

आई.बी. की 21 पेज की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के चार्टर्ड अंकाउंट नेता के कार्यालय से लीक होना यह साबित करता है कि आई.बी. भाजपा हित में काम करती है। इस रिपोर्ट में जिन गैर सरकारी संगठनों पर आरोप किये गये हैं

उनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा भाजपा से संबंधित किसी भी गैर सरकारी संगठन का नाम नहीं है। यह भी साबित करता है कि आई.बी. भाजपा के हित में ही काम करती है।

इस रिपोर्ट में उन गैर सरकारी संगठनों के नाम हैं जिन्होंने जनहित में बड़े पूंजीपतियों द्वारा निर्माण किये जा रहे उद्योगों का विरोध किया और जनभागीदारी से आंदोलन किए। इन उद्योगों के नाम हैं - परमाणु पावर प्लांट, युरेनियम माईन, कोल फायड पावर प्लांट, जिनेटीकली मोडी फाईड आरगेनिजन्स, मेगा ईडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट (पास्को और वेदांत), हाईडल प्रोजेक्ट्स (अरुणाचल प्रदेश में नर्मदा सागर पर), और एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्रिज (तेल, चूना) इन उद्योगों के विरुद्ध और जनता के हित में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को विदेशों से दान मिलता है जो जनहित में खर्च किया जाता है। इन गैर सरकारी संगठनों पर आई.बी. की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। संघ परिवार और भाजपा से संबंधित गैर सरकारी संगठनों को भी भरपुर विदेशी दान मिलता है। यह संगठन जनहित में काम करने का दिखावा करते हैं परन्तु वास्तव में वह संघ परिवार के हित में काम करते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो जनहित में काम करते हैं उन्हें इस देश की इंटेलेजन्स एजेन्सी राष्ट्र विरोधी कहती है और जो जनहित का दिखावा कर अपने उद्देश्य पूर्ण किए काम करते हैं उनके बारे में यह इंटेलेजन्स एजेन्सी चुप रहती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह इंटेलेजन्स एजेन्सी जनहित में नहीं, संघ परिवार के हित में काम करती है।

आई.बी. की इस रिपोर्ट के आधार पर उन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही होगी, जन आंदोलन को समाप्त किया जायेगा और उन उद्योगों को शुरु किया जायेगा जिससे पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा और आम जनता का अहित होगा।

आई.बी. ने केवल उन्ही गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के नाम अपनी रिपोर्ट में दिए हैं जिनके माध्यम से जन आंदोलन किये जा रहे हैं जिनका प्रभाव पूंजीपतियों पर हो रहा है। दूसरे एन.जी.ओ. भी हैं जिन्हें विदेशों से दान स्वरूप करोड़ों रुपये मिलता है। वह जिस कार्य के लिए दान लेते हैं

उन कार्यों पर दान राशी खर्च नहीं करते हैं और अन्य कार्यों पर खर्च करते हैं। ऐसा ही भारत की सबसे बड़ी एन.जी.ओ. है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघं। विभिन्न स्वतंत्र संस्थाओं ने आर्.एस.एस.के संबंध में रिपोर्ट में कहा है कि उसे उसकी विभिन्न विदेशी एजेंसीयों से अपार धन सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के नाम पर मिलता है परन्तु वह उस धन का उपयोग देश में अराजकता पैदा करने में करती है।

सबरंग कम्यूनिकेशन और साऊथ एशिया सिटीजन्स वेब नामक दो संस्थाओं ने सन 2002 में अमेरिका से आर्.एस.एस. को मिलने वाले धन के संबंध में 150 से अधिक दस्तावेजों का अध्ययन कर यह पाया कि अमेरिका से अनेक औद्योगिक घरानों से इन्डिया डेवलपमेंट एण्ड रिलिफ फंड (आई.डी.आर.एफ.) नाम के संगठन के माध्यम से आर्.एस.एस. को विदेशी धन पहुंचाया जाता है। आई.डी.आर.एफ. नाम से "भारत के सामाजिक कार्य" के नाम पर धन इकट्ठा करती हेतु अमेरिका में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करती है और प्राप्त धन में से लगभग 83 प्रतिशत धन सघं परिवार के विभिन्न संगठनों को देती है। आई.डी.आर.एफ. के आयकर विवरणी का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया था कि, उसने भारत को मुख्य रूप से जिन संगठनों को धन मुहय्या कराया था, वह है - (1) विकास भारती (बिहार), (2) स्वामी विवेकानंद ग्रामिण विकास संस्था (तमिलनाडू), (3) सेवा भारती (दिल्ली), (4) जनसेवा विद्या क्रेन्ड (कर्नाटक), (5) वनवासी कल्याण आश्रम (मध्य प्रदेश), (6) वनवासी कल्याण आश्रम (गुजरात), (7) वनवासी कल्याण आश्रम (नगर हवेली), (8) गीरीवासी वनवासी सेवा प्रकल्प (उत्तर प्रदेश) (9) जी.देशपाडे वनवासी वसतीगृह (महाराष्ट्र)। यह सभी संस्थायें राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघं से संबन्धित हैं और उसके साहित्य में इन संस्थाओं का उल्लेख है। इसी प्रकार आई.डी.आर.एफ. ने जिन 75 भारतीय संगठनों को धन दिया उनमें से 60 संगठन आर्.एस.एस. से संबन्धित हैं।

सघं परिवार को धन मुहय्या कराने वाले संगठन संसार के अनेक देशों में बनाये गये हैं। यह संगठन एक दूसरे के साथ संबन्ध बनाये हुये हैं। जिस प्रकार अमेरिका में आई.डी.आर.एफ. है उसी प्रकार इंग्लैंड में समाज सेवा के नाम पर सेवा इंटरनेशनल धन इकट्ठा कर सघं परिवार को भेजती है।

उडिसा में चक्रवात से नुकसान हुआ था और गुजरात में भूकंप आया था उस वक्त सेवा इंटरनेशनल ने लोगों को राहत पहुंचाने धन भेजा था, आवाज - दक्षिण एशिया वाच लि.के रिपोर्ट के अनुसार सेवा इंटरनेशनल ने इन कार्यों के लिए जो धन भेजा था उसमें से अधिकतर धन सघं परिवार के संगठनों ने ले लिया था। इंग्लैंड के उद्योगपती सेवा इंटरनेशनल को धन इस आशा से भी देते हैं कि उनका माल भारत में आ सके।

आई.बी.की रिपोर्ट से यह संकेत मिलते हैं कि भारत में पूंजीपति जो भी करे जनता उनके आड़े न आये। चाहे जनता का कितना भी नुकसान हो, उन पर कितनी भी आपत्ती आये परन्तु पूंजीपतियों पर कोई भी अंकुश न लगाया जाय। पूंजीपति खुब संपत्ती अर्जित करे और उसमें से कुछ हिस्सा सघं परिवार और भाजपा के मिलता रहे ताकि उनके प्रचार और प्रसार में कोई कमी नही आ सके, भले ही जनता का चाहे जो नुकसान हो।

► उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव रहा तो भाजपा विजयी होगी - अमित शहा

दंगे के आरोपी भाजपा के अध्यक्ष अमित शहा ने एक चैनल पर इंटरव्यू के दरम्यान यह बात कही कि, यदि उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक तनाव रहा तो भाजपा विजयी होगी। यह उनका गुजरात का अनुभव हो सकता है। गुजरात में सांप्रदायिक तनाव निर्माण करने बाद मोदी ने चुनाव जिते थे।

उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में भी उपचुनाव होने वाले हैं। अमित शहा से इन राज्यों में भी भाजपा विजयी होगी यह दावा किया गया। इसलिए यह आंशका व्यक्त की जा रही है कि, क्या इन राज्यों में भी सांप्रदायिक दंगे करवा कर सांप्रदायिक तनाव निर्माण किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि, सोनीया गांधी ने यह आरोप लगाया था कि, केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद 600 स्थानों पर दंगे करवाये गये थे। इसी प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि, आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रमुख बनाया गया है जिन्होंने आम सभाओं में और संसद में

मुसलमानों के विरुद्ध आपत्तीजनक बयान दिये हैं।

► 'लव जेहाद' के नाम से भागवत जहर फैला रहे हैं

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसचंचालक मोहन भागवत ने गाजीयाबाद में कृष्णा डेंटल कॉलेज द्वारा आयोजित समारोह में कहा कि, हिन्दु लडकियों को प्रेमजाल में फंसाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है, इस लव जेहाद का अर्थ हिन्दु लडकियों को समझाना चाहिए ताकि वह फंसेगी नहीं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समाचार पत्र पांचजन्य और आर्गेनायजर के माध्यम से यह खबर फैलाई जा रही है कि, लव जेहाद के पिछे सिमी और लष्कर -ए- तोयबा इन संगठनों का हाथ है। लव जेहाद के मामलों में संघ परिवार कुछ उदाहरण देता है परन्तु इन उदाहरणों में भाजपा नेता मुक्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसेन के उदाहरण नहीं दिये जाते।

शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालने के कुछ मामले हो सकते हैं जिनका निराकरण न्यायीक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। परन्तु संघ परिवार इसे आम बनाने जा रहा है। यदि महिला अपनी मर्जि से धर्म परिवर्तन करती है तो उसे लव जेहाद का रूप नहीं दिया जा सकता। संविधान में प्रदत्त इस अधिकार को कोई छिन नहीं सकता। वास्तविकता तो यह है कि, हिन्दु धर्म के ठेकेदारों को लोग धर्म परिवर्तन कर हिन्दु धर्म को त्याग रहे हैं इस बात का डर है। इसलिए वह लव जेहाद जैसे फार्मुले इजाद कर रहे और लोगों के मन में दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष निर्माण किया जा रहा है।

► ब्राम्हणी धर्म की कुप्रथा के कारण 29 लडकियों की जान गई

ब्राम्हणी धर्म की सभी प्रथायें मानव विरोधी हैं इसलिए उन्हें कुप्रथा ही कहना चाहिए। अनेक वर्षों से चली आ रही परंपरा और अंधविश्वास के कारण लोग उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी ही एक कुप्रथा बिहार में प्रचलित है जिसके अनुसार बहनों को अपने भाइयों के दिघायूषी होने के लिए उपवास करना होता है और नदी या नाले में या तालाब में

स्नान करना होता है। गया जिले के बारडीहा गाव में लडकियों ने इस प्रथा के अनुसार उपवास किया और तालाब में स्नान करने गई तब 25 लडकियां उस तालाब में डुबकर मर गई। इसी प्रकार पटना जिले के जयनदपुर गाव में भी 4 लडकियां पानी में डुबकर मर गई।

भारत में आज भी ब्राम्हणी धर्म के अनुसार कर्मकांड, पुजापाठ, संस्कार और त्योहार किए जाते हैं जिनसे लोगों को लाभ मिलने की बजाय उन्हें नुकसान ही होता है। परन्तु अंधविश्वास के कारण यह सब किया जा रहा है। इस अंधविश्वास को ब्राम्हण वर्ग भी बढ़ाने का काम कर रहा है। लोगों को बताया जाता है कि, ईश्वर नाम की कोई अदृश्य शक्ति यह करने से उनका कल्याण करेगी। वास्तव में यह सब करने से नुकसान ही है, लाभ नहीं है। झूठी आशा और लोभ के कारण लोग यह सब करते हैं। यह इसलिए भी हो रहा है कि लोग सत्य जानने की कोशीश नहीं करते। यदि लोगों ने सत्य जान लिया तो इस अंधविश्वास से मुक्त होकर ईश्वर पर विश्वास करने की बजाय अपने सत्कर्म पर विश्वास करने लगेंगे।

► कानून में संशोधन - जुर्म कबुल करें तो सजा माफ होगी

भारत के विभिन्न न्यायालयों में अनेक प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों की संख्या कम करने के लिए सी.आर.पी.सी. को धारा 265 में बदलाव किया गया है।

भारतीय दंड विधान की धारा 323, 324, 325 के अंतर्गत मारपीट के प्रकरण, धारा 489-अ के अंतर्गत पारिवारीक झगडे के प्रकरण तथा 7 वर्ष तक की सजा वाले जुर्म के आरोपी द्वारा जुर्म कबुल करने पर सजा माफ की जा सकती है। यह माफी अनुसूचित जाति - जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों में, भ्रष्टाचार प्रतिबंध कानून के अंतर्गत प्रकरणों में, सामाजिक जुर्म और आर्थिक जुर्म के प्रकरणों में नहीं मिलेगी। इस बदलाव के प्रचार के लिए पुलिस थानों में जागृति की जा रही है। इस संबध में प्रक्रिया के लिए पिडित, अपराधी, पिडित के वकील और अपराधी के वकील को न्यायालय की अनुमती लेना अनिवार्य होगा।

► अपराधी प्रवृत्ति के अमित शहा भाजपा के अध्यक्ष बने

सभी जानते हैं कि अमित शहा पर गुजरात में अपराधीक मामले दर्ज हुये थे। वह गुजरात के गृहमंत्री थे तब सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें त्यागपत्र देना पडा था। यही नहीं कुछ अपराधीक मामलों के कारण न्यायालय ने उन्हें गुजरात से तडीपार भी किया था। जब उन्हें तडीपार किया था तब वह उत्तरप्रदेश रह रहे थे। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि भारत की राजनिति में ऐसे ही लोग सफल हैं।

► गुजरात में आदिवासी विद्यार्थी नदी में तैरकर स्कूल जाते हैं

गुजरात के उदयपुर जिले में लगभग 125 विद्यार्थी रोज हिरण नदी तैरकर स्कूल जाते हैं। यह नदी 600 मिटर चौड़ी है। विद्यार्थी अपने साथ पितल की एक गुंडी रखते हैं जिसे स्थानिय भाषा में गोहरी कहते हैं। पिछले 70 वर्षों में राजनेताओं से इस नदी पर पुल बनाने का आश्वासन मिल रहा है, परन्तु अब तक पुल नहीं बना है।

► राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन नहीं किया जायेगा

भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा चिंतन बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्व हिन्दु परिषद के नेता उपस्थित थे। इस बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक नितियों का विरोध होने लगा तब यह निर्णय लिया गया कि मोदी के किसी भी निर्णय का संघ से जुडी हुई कोई भी संस्था, जैसे स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदुर संघ, किसान संघ दो वर्षों तक विरोध नहीं करेंगे। यदि मोदी सरकार ने कोई गलत निर्णय भी लिया तो भी रस्ते पर आंदोलन करने की बजाय संबंधीत

मंत्री से चर्चा भर की जायेगी। सरकार के गलत निर्णय के पिछे सरकार की मजबुरी को समझाने की जिम्मेदारी इन संगठनों की होगी ताकि सरकार के बारे में दुर्भावना पैदा न हो सके।

उपरोक्त निर्णय लेने का कारण कोई भी जानकार व्यक्ति समझ सकता है। वह कारण यह है कि, जब से मोदी ने सत्ता संभाली उन्होंने संघ के एजेन्ड के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा निर्णय लेना संघ की रणनिति का भाग है। यदि मोदी सरकार जनविरोधी निर्णय भी लेती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता उस निर्णय को जनता के हित में है ऐसा प्रचारीत करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि भारत की अधिक तर जनता अंधविश्वासी है, विचार नहीं करती और सच्चाई जानने की कोशीश नहीं करती। अब हर भारतीय की यह जिम्मेदारी है कि सरकार के हर निर्णय को अपनी बुद्धि का उपयोग कर अच्छी तरह समझे।

► शिक्षक दिन पर मोदी के भाषण का फर्मान

बहुत से लोग प्रसिद्धी पसंद हैं परन्तु हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्यादा ही प्रसिद्धी पसंद हैं। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रसिद्धी के अनेक प्रयोग किए। शिक्षक दिन पर टेलीकान्फरसींग के जरिए विद्यालयों में भाषण देने का प्रयोग वह गुजरात में कर चुके हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिन के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करने की बजाय वह विद्यार्थियों को संबोधित करते हैं। उपर से शिक्षकों पर स्कूल में टीवी और जहां बिजली नहीं है वहां जनरेटर की व्यवस्था करने की सख्ती की गई। शिक्षक दिन शिक्षकों के लिए खुशी का दिन होने की बजाय मुसिबत का दिन बना दिया गया क्योंकि अनेक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है और इतनी अधिक संख्या में टीवी और जनरेटर भी नहीं है। यह सब व्यवस्था करने के लिए विद्यालयों में फंड भी नहीं होता है। सारी मुसीबतों के बावजूद शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिन की बजाय प्रधानमंत्री भाषण दिन मनाना पडा। अंग्रेजी में कहावत है, King can do no wrong अर्थात् राजा गलत नहीं कर सकता। शिक्षक दिन की घटना ने इस कहावत को सही

साबित कर दिया। भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि, मोदी गलत भी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वयं संघ, संघ परिवार और भाजपा के नेता और प्रवक्ता गलत को सही साबित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ लोगों को टीवी पर चर्चा के दौरान चिल्लाते हुये हम देख सकते हैं।

5 सितंबर को मोदी ने भाषण दिया और विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कथनी और करनी में अंतर की परंपरा को जारी रखा जायेगा। आम बजट में शिक्षा के मद में जितना आवश्यक है उतना आबंटन नहीं होगा, स्मार्ट सिटी बनेगी परन्तु स्मार्ट विद्यालय नहीं बनेंगे, शिक्षकों की कमी पुरी नहीं की जायेगी, कामचलाऊ शिक्षकों से काम चलता रहेगा, निजी विद्यालयों के मुकाबले सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, गरिबों के लड़के उच्च शिक्षा से वंचित रहेंगे, सरकारी सुविधाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा, पाठ्यक्रम धर्म निरपेक्षता पर आधारित न होकर हिन्दु धर्म आधारित होगा इत्यादी। मोदी का भाषण सुनाने के लिए 126 करोड़ रुपये का खर्च किया गया। उनका भाषण देश के 8.5 लाख स्कूलों में 9.5 करोड़ बच्चों को सुनाया गया।

► भारत सरकार जातीयवादी और अल्पसंख्यक विरोधी- युरोपिय संसद

स्पेन की अलायन्स ऑफ लिबरल्स एन्ड डेमोक्रेट्स ऑफ युरोप इस संगठन की सदस्य इजास्कुन बिलबाओ बैंडिका ने युरोपिय संसद के उपाध्यक्ष के समक्ष तीन प्रश्न रखे और माँग की कि भारत की विषमता पर ध्यान दिया जाए उसके बाद ही नरेन्द्र मोदी के साथ अनुबंध किया जाए। वह तीन प्रश्न हैं - (1) भारत में विषमता के मुद्दे पर युरोपिय संघ भारत सरकार के साथ कौन से कदम उठायेगा? (2) युरोपिय संघ और भारत के बिच मुक्त व्यापार पर चर्चा हो रही है। क्या उसमें भारत के सामाजिक, वांशीक और धार्मिक मुद्दों को महत्व दिया गया? (3) अल्पसंख्यकों से संबंधित भारत की निति के कारण दक्षिण एशीया में शांति और सुरक्षा को धोखा निर्माण हो सकता है। इसलिए क्या युरोपिय संघ अन्य देशों के साथ चर्चा कर रहा है?

बैंडिका ने लिखा है कि, भारत में बहुत बड़ी विषमता है।

भारत के अल्पसंख्यकों में बहुत से गरीब हैं। भारत में जाति आधार पर और धर्म के आधार पर दंगे कराये जाते हैं। इससे स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न निर्माण होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विषमता, जातीयवाद, धर्मवाद, गरीबी समझ में आती है परन्तु भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आ रही है? इसका उत्तर भी यह है कि भारत की बहुसंख्यक जनता ब्राम्हणवाद के जाल में पुरी तरह फंस चुकी है, वह भावना आधार पर विचार करती है, बुद्धि के आधार पर नहीं। इसलिए सत्य और असत्य को पहचान नहीं पा रही है।

► अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आने वाले हैं - भारतीय रिजर्व बैंक

चुनाव प्रचार के समय नरेन्द्र मोदी ने नारा दिया था, 'अच्छे दिन आनेवाले हैं'। जनता ने भावनावश उस पर विश्वास किया और भाजपा को बहुमत से चुनकर दिया। मोदी की सरकार बनने के बाद भारत की जनता मंहगाई के कारण बुरे दिन का अनुभव कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा है कि बुरे दिन रहने वाले हैं।

जून माह में खुर्दा मंहगाई दर 7.46 प्रतिशत थी, वह जुलै माह में बढ़कर 7.96 प्रतिशत हो गई। इसीके परिणाम स्वरूप जून में सब्जियों कीमत 16.48 प्रतिशत बढ़ी थी जो जुलै माह में 22.48 प्रतिशत तक बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के कारण डीजल की कीमतें कम हो गई परन्तु अन्य आर्थिक कारणों से मंहगाई बढ़ सकती है। जनवरी 2015 तक मंहगाई 8 प्रतिशत और जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत तक नियंत्रण में लाये जाने के आसार हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मंहगाई बढ़ सकती है, जिसे जनता भी अनुभव कर रही है। मोदी के आश्वासन पर विश्वास कर अब जनता ठगी हुई महसूस कर रही है।

► महाराष्ट्र में अनुसूचित जाती और

अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के 2068 मामले दर्ज

महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटील ने विधानसभा में जानकारी दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक वर्ष भर में 2068 मामले दर्ज किये गए। पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किये मामले को मिलाया जाय तो यह संख्या दस गुना अधिक होगी। इस अवधि में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के 1634 मामले तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के 418 मामले दर्ज किए गए।

जनवरी 2013 प्रारंभ में 556 मामले पुलिस के पास जांच के लिए लंबित थे। दिसंबर 2013 से अंत तक 1854 मामलों में जांच पूरी हो गई और 770 मामलों में पुलिस की जांच पूरी होनी थी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जातिद्वेष के कारण अत्याचार होते हैं। इसलिए सरकार यदि वास्तव में इन वर्गों पर अत्याचार समाप्त करना चाहती है तो जातिवाद को जड़ से समाप्त करना होगा अर्थात् जाति निर्मूलन करना होगा। उपरी उपाय और कानूनी कार्यवाही इसका हल नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर इस प्रकार के अत्याचार अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। इसलिए पुरे भारत से जाति का निर्मूलन हो यही एकमात्र उपाय है।

➤ बलात्कार रोकना संभव नहीं - महाराष्ट्र के गृहमंत्री आर आर पाटील

महाराष्ट्र के विधान परिषद में गृहमंत्री आर आर पाटील ने राज्य में महिलाओं पर बलात्कार के आंकड़े प्रस्तुत किए। वह इस प्रकार हैं -

शादी का प्रलोभन देकर	42%
पड़ोसी द्वारा	21%
मित्र द्वारा	18%
जमिनदार द्वारा	1.5%
परिचितों द्वारा	6.4%

पैसे के प्रलोभन से	3%
रिश्तेदारों द्वारा	6.65%
पिता और भाई द्वारा	6.34%

आर. आर. पाटील ने कहा कि बलात्कार जैसे घृणास्पद कृत्य के बारे में समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इसका मतलब साफ है कि सरकार बलात्कार पर अंकुश नहीं लगा सकती, जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदली जाती। परन्तु आर आर पाटील को यह बताना जरूरी है कि जब तक समाज में सदाचार प्रस्थापित नहीं होता बलात्कार जैसी घटनाओं पर रोक नहीं लग सकती और मुख्यरूप से सदाचार केवल और केवल बुद्धीज्म से ही प्रस्थापित हो सकता है।

➤ अंधविश्वास की चरम सिमा - एक पिताने अपने पुत्री की शादी कुत्ते के साथ करायी

झारखंड की सिमा पर छत्तिसगढ़ के एक गांव में एक पिताने अपने पुत्री की शादी एक कुत्ते के साथ करायी। उस लडकी का नाम है मांगली अमन मुंडा। एक भोंदुबाबा ने मांगली के पिता को बताया कि, उसकी 18 साल की पुत्री मांगली पर भुत प्रेत का साया है। उसकी शादी कुत्ते से करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो मांगली के पिता और उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा। मांगली के पिताने भोंदुबाबा पर विश्वास किया। उसने गांव से एक कुत्ते को पकड़कर लाया और पुरे रस्म रिवाज के साथ मांगली की शादी कुत्ते से करायी। लडकी पिता की मर्जी के आगे असाहाय थी और कुछ कह नहीं सकी।

ऐसी घटनायें केवल भारत में ही हो सकती हैं। इस विज्ञानयुग में भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार हैं। इस अंधविश्वास की जड़ ब्राम्हणी धर्म है। जब तक भारत के लोग ब्राम्हणी धर्म के चंगुल से मुक्त नहीं होते और बुद्ध के विज्ञानवादी धम्म का स्विकार नहीं करते तब तक इस प्रकार की घटनायें होती रहेगी।

➤ भारत में दलितों पर अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़े

नेशनल क्राईम रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2004 से 2013 के बिच हरियाणा में दलितों पर अत्याचारों की संख्या 245 प्रतिशत बढ़ी है। इस अवधि में हरियाणा में दलितों पर अत्याचार के 3198 मामले दर्ज हुए हैं। 1994 से 2003 के बिच यह संख्या 1305 थी। भारत के अन्य राज्यों में भी दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें देखते हुये यह कहा जा सकता है कि देश में दलितों पर अत्याचार जातिद्वेष के कारण होते हैं। इसलिए यह साबित होता है कि जातिद्वेष बढ़ रहा है। राज्य सरकारों में, शासकीय व्यवस्था में और ब्राम्हणी धर्म को मानने वालों में जातिद्वेष है। इसलिए दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दलितों पर अत्याचार समाप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त करना ही एक-मात्र उपाय है। यह करने के लिए सरकार की बड़ी ईच्छा शक्ती की आवश्यकता है।

► 2011 तक भारत में 6 करोड़ 54 लाख 94 हजार 604 झोपडपट्टी धारक

सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,54,94,604 झोपडपट्टी धारक हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5,23,71,589 झोपडपट्टी धारक थे। इस प्रकार 2001 से 2011 के बिच झोपडपट्टी धारकों की संख्या एक करोड़ तीस लाख से बढ़ी है। दोनों पार्टियों की सरकारें एक दुसरे पर दोषारोपण करते हैं परन्तु दोनों का काम गरिबों के विरोध में ही है। भाजपा के मंत्री वेकेंय्या नायडु ने लोकसभा में बताया कि 2001 से 2011 के बिच कांग्रेस के शासन में झोपडपट्टी धारकों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से बढ़ी है जब की 2001 में झोपडपट्टी धारकों की संख्या 5,23,71,589 थी और उस समय भाजपा की सरकार थी। इस संबंध में वह कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस तथा भाजपा दोनों की सरकारों ने झोपडपट्टी वासीयोंको अच्छे घर नहीं दिलाये इसलिए यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और जनगणना 2021 की जनगणना में और अधिक होगी।

► राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता

सुनिल जोशी की हत्या के मामले में प्रज्ञा सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल

सन 2011 में देवास पुलिस ने आर्.एस.एस. कार्यकर्ता सुनिल जोशी की हत्या के मामले में साध्वी प्रज्ञा के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी - एन.आई.ए. ने दुबारा जांच कर फिर से साध्वी प्रज्ञा सिंह के विरुद्ध विशेष अदालत में चार्ज शीट दाखिल की है। इस चार्ज शीट में देवास पुलिस द्वारा दाखिल आरोपों के अलावा और भी आरोप एन.आई.ए. ने लगाए गये हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस प्रकरण में अभी जेल में हैं। उसके अलावा राजेन्द्र चौधरी और लोकेश शर्मा भी इस प्रकरण में आरोपी हैं।

सभी जानते हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मालेगांव बमकांड में आरोपी हैं। वह अपने साथी कार्यकर्ता सुनिल जोशी की हत्या में भी आरोपी हैं। इससे हम सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता कितने क्रूर होते हैं। वह बमकांड कर लोगों की हत्या तो करते ही हैं साथ ही अपने साथी की भी हत्या करते हैं।

► राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत का वास्तविक इतिहास बदलना चाहता है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत के इतिहास के पुनर्लेखन की जानकारी दी है। वह भारत का वास्तविक इतिहास बदलकर पुराण पर आधारित इतिहास बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के सौ साल सन 2025 में पूरे होंगे। उस अवसर पर पुराणों पर आधारित इतिहास जारी किया जायेगा। आने वाले 10 वर्षोंतक इतिहास लिखान का प्रोजेक्ट चलेगा। इस प्रोजेक्ट को 'पुराण अंतर्गत इतिहास' यह नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अखिल भारतीय इतिहास संकलन संगठन पुराण अंतर्गत इतिहास इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 100 इतिहास कारों की गुजरात के बनासकांठा में 22 से 24 अगस्त को कार्यशाला आयोजित की गई थी। अखिल

भारतीय इतिहास संकलन संगठन की मदत के लिए आर.एस.एस.के कार्यालय केशव कुंज में व्यवस्था की गई है।

आर.एस.एस.की इस विध्वंसकारी योजना के अंतर्गत 670 जिलों का स्वतंत्र इतिहास लिखा जायेगा और आदिवासी समाज का भी इतिहास फिर से लिखा जायेगा। प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने काल्पनिक, चमत्कारीक और तथ्यहिन बातें लोगों के दिलों दिमाग में डाली थी और जनता को सत्य से दूर रखा था उसका परिणाम भारतीय आज भी भोग रहे हैं। उसी प्रकार वर्तमान में असत्य इतिहास लिखकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जायेगा। कुल मिलाकर आर.एस.एस.को भारत को ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाना है। उसके लिए मोदी सरकार का साधन के रूप में पुरा उपयोग किया जायेगा। अब हर भारतीय का यह कर्तव्य है कि, इस बदलती हुई परिस्थिति पर खुले दिमाग से विचार करे और निर्णय ले।

► गुजरात में दलित युवती को जला दिया गया

गुजरात के सुरेन्द्र नगर जिले के सायला गांव में आठ लोगों ने एक दलित युवती से छेड़छाड़ की और बाद में उसे जला दिया। सायला के आंबेडकर नगर में मोतभाई सुनेरा और सात अन्य लोगों ने 15 वर्षीय दलित लड़की से छेड़छाड़ की। जब उस लड़की ने विरोध किया तो उसके शरीर पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया। युवती गंभीर रूप से जल गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

इस घटना के बाद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट तो दर्ज की परन्तु किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह खबर है कि गुजरात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़े हैं। इन में से अधिकतर मामलों में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। इन समुदायों पर हो रहे अन्याय की गुहार लगाने पर उन्हें न्याय नहीं मिलता। यही गुजरात मॉडल है।

► रक्षाबंधन पर वैदिक राखी बांधनी चाहिए - ज्योतिषी अनिल वैद्य

रक्षा बंधन के दिन इस वर्ष अपने भाई को सभी मंगल कार्य वाली वैदिक राखी बांधनी चाहिए ऐसी सलाह ज्योतिषी अनिल वैद्य ने दी है। उन्होंने वैदिक राखी बनाने की विधि भी बताई। एक पिले कपड़े के छोटे टुकड़े में दुर्वा, अक्षता, केशर या हल्दी, शुद्ध चंदन और मोहर के अखंड दाने मिलाकर रखे और उस कपड़े को सिला दे। उसे लाल धागे से सिलाकर राखी का रूप दे। उन्होंने बताया कि इस राखी में रखी हुई वस्तुओं से भाई निरोगी, दिर्घायुशी होता है और उसकी सभी दृष्टी से प्रगती होती है और सुखी होता है।

वैसे भी भारत अंधविश्वास से भरा हुआ है और यह एक नया अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है। स्वयं वेद में मानव कल्याण की कोई बात नहीं है तब यह वैदिक राखी कैसे किसी का कल्याण कर सकती है?

► फिल्मि दुनिया में भी जातिवाद है

सुप्रसिद्ध नाटककार और पटकथा लेखक संजय पवार ने यह कहा कि, फिल्मि दुनिया में अभी भी जातिवाद है। यहां अपनी जाति के व्यक्ति के साथ नजदिकीयां होती हैं, बाकी लोगों को दूर रखा जाता है। यह बात संजय पवार ने दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित मुलाखात में बताया।

ब्राह्मणवादियों ने भारतीयों के मन ऐसी गहरी बात डाल दी कि व्यक्ति का मुल्यांकन उसकी जाति से होता है। निचली जाति का व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, कलाकार हो, उंचे पद पर हो, सदाचारी हो परन्तु उसे उसकी जाति के कारण हीन माना जाये। उसी प्रकार उंची जाति का व्यक्ति कितना भी मुर्ख हो गंवार हो, निचले दर्जे को हो और दुराचारी हो फिर भी उसे उसकी जाति के कारण सन्मान दिया जाता है।

► मोदी के आदेश पर गृह मंत्रालय की 1.5 लाख फाईल नष्ट की गई

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर गृह मंत्रालय की 1.5 लाख फाईले एक महिने से भी कम समय में नष्ट की गई, जो वर्षों से धुल खा रही थी। इन फाईलों को नष्ट करते वक्त कुछ फाईले ऐसी भी देखी गई जिनका ऐतिहासिक महत्व है,

जैसे लार्ड माउंटबेटन को भारत से इंग्लैंड जाने के लिए 64,000 रुपये दिये गये थे (आज के रुपये की किंमत के हिसाब से करोड़ों रुपये होते हैं), राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने पेन्शन लेने से मना कर दिया था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पगार लेने से मना करने पर उसे आपदा फंड में जमा कर दिया गया था। इन फाईलों को नष्ट कर दिया गया या उन्हें संभालकर रखा गया इसकी जानकारी फाईले नष्ट करने वाले अधिकारियों को नहीं थी। नियम के अनुसार ऐतिहासिक महत्व की फाईलों को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के कार्यालय को भेज देनी चाहिए।

► पिछले 6 वर्षों से आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित

महाराष्ट्र के चाचापाडा आदिवासी क्षेत्र में जिला परिषद की शाला में पिछले 6 वर्षों से शिक्षक नहीं हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र शासन का शिक्षा विभाग इतनी गहरी निंद में कैसे है?

पिछले 6 वर्षों से इस क्षेत्र की शाला के शिक्षक लापता हैं। उनके संबंध में जांच चल रही है जो अब तक पुरी नहीं हुई है। इस अवधि में शाला में शिक्षक नियुक्त नहीं किये गये जिसके कारण आदिवासी छात्र शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बना दिया गया है परन्तु इन आदिवासी छात्रों के अधिकार की किसी को फिक्र नहीं है।

► गुजरात में गलत इतिहास पढ़ाया जाता है

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की योजना और कार्यकलापों से यह साफ हो चुका है कि वह भारतीय इतिहास का विकृतिकरण करना चाहता है और सही इतिहास को बदलना चाहता है। उसकी प्रयोगशाला कहे जाने वाले राज्य में भी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, गांधी की हत्या 30 अक्टूबर 1948 में हुई, दुसरे महायुद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका पर अणुबम से हमला किया था, हिन्दु पर्वत का विभाजन हुआ और एक नया देश निर्माण हुआ उसका नाम इस्लामिक इस्लामाबाद है, सभी दक्षिण भारतीय मद्रासी होते हैं। मेल टुडे द्वारा किए गए

खुलासे में यह कहा गया है कि इस प्रकार का गलत इतिहास अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 6 वी से 8 वी के छात्रों को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार के गलत इतिहास की किताबों को गुजरात काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग और स्टेट बोर्ड फॉर स्कुल टेक्स्टबुक्स ने मंजूरी दी है। गलत इतिहास पढ़ाए जाने की शिकायत पर किताबों में सुधार करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी परन्तु अभी भी वही गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व भारत में घुटने तक कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहां अधिक बारीश होती है, महिलाएँ भद्दी तरिके से साड़ी पहनती हैं, पूर्व भारत के लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं इस तरह की गलत बातें समाजशास्त्र में पढ़ाई जाती हैं। सबसे गलत बात यह है कि स्कुल में बच्चों को रुढ़ीवादी बातें सिखायी जाती हैं। इस देश की भावी पिढी को बिगाडने की यह साजिश है। वास्तव में यह आर.एस.एस.के एजेन्डे के तहत हो रहा है।

► शालाओं में गीता पढ़ाने की वकालत

शालाओं में गीता को पढ़ाने की वकालत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए.आर. दवे ने की है। ऐसा करने से उन्होंने ब्राम्हणवादी होने का सबुत पेश किया है। बाबासाहेब के अनुसार गीता में मारकाट और चातुर्वर्ण के वर्णन के अलावा अन्य कोई बात नहीं लिखी है। यह बातें ब्राम्हणवाद को पोषक हैं। उसमें मानव कल्याण की कोई भी बात नहीं लिखी है। शालाओं में गीता का पाठ पढ़ाने की वकालत कर न्यायाधिश महोदय ब्राम्हणवादी पिढी तयार करना चाहते हैं, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

न्या. दवे की बात को आगे बढ़ाते हुए आर.एस.एस.के समर्थन और भारतीय विचार केन्द्र के निदेशक पी.परमेश्वर ने तो यहा तक कह डाला कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं वह प्रेरणादायी और दार्शनिक ग्रंथ है और उसे राष्ट्रीय किताब घोषित करना चाहिए।

न्या. दवे ने कहा कि यदि मैं देश का हुक्मरान होता तो कक्षा पहली के पाठ्यक्रम में ही भगवत् गीता और महाभारत को सम्मिलित किया होता। आप इसी माध्यम से जीवन जीने कला सिख सकते हैं। न्या.दवे के यह विचार आर.एस.एस.के विचार हैं। मोदी अब इस देश के हुक्मरान हैं और आर.एस.

एस.के प्रचारक हैं तब न्या.दवे को उनके सपने साकार होने की उम्मीद करनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस देश की बर्बादी ही होगी।

► भारत की नई शिक्षा निति बनेगी

मानव संसाधन मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि भारत को नई शिक्षा निति की आवश्यकता है। उन्होंने यह अपने मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में किए गये कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा निति पर जनवरी 2015 से विचार विमर्श शुरू होगा।

अब तक के मोदी सरकार के क्रियाकलापों से और आर.एस.एस.के बयानों से एक बात स्पष्ट होती है कि आने वाली शिक्षा निति ब्राम्हणी शिक्षा निति होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हिन्दु विचारधारा की किताबें पाठ्यक्रम में रखी जायेगी तब उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों का ध्यान रखा जायेगा। मोदी सरकार के मंत्री और नेता चाहे जो कहे वह वही करेंगे जो आर.एस.एस.के एजेन्डा के तहत है। इस कारण यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है नई शिक्षा निति ब्राम्हणवाद पर आधारित होंगी। जहां तक संविधान के प्रावधानों का प्रश्न है, यह चतुर नेता उनकी अपनी सुविधानुसार ही व्याख्या करेंगे।

► हिन्दु विरोधी महिलाओं पर बलात्कार होने चाहिए - वी. आर. भट

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थक कन्नड के स्तंभ लेखक वी. आर. भट ने टिप्पणी की है कि हिन्दु विरोधी महिलाओं पर बलात्कार होने चाहिए।

भारत ज्ञान विज्ञान समिती की कर्नाटक विभाग की सचिव प्रभा एन.बेलामंगला ने वैज्ञानिक खोज, रातनिति और धर्म के विषय पर अपने विचार फेसबुक पर लिखे थे। हिन्दु धर्म की प्रथाओं पर उन्होंने टिप्पणी की थी और अपने विचार वैज्ञानिक दृष्टीकोन के होने चाहिए ऐसा लिखा था। उनकी टिप्पणी पढ़कर वी.आर. भट ने चिड़कर अपने फेसबुक पर प्रतिक्रिया दी कि, सनातन हिन्दु धर्म क्या है, क्या आपको उसकी जानकारी है? आपकी मानवता को आग लगे। हिन्दु

धर्म के प्रति आप जैसी महिलाओं का दृष्टीकोन बदलने के लिए आपके बाल नोचने चाहिए और आप पर बलात्कार होना चाहिए।' इस प्रतिक्रिया के बाद महिला अधिकारी कार्यकर्ताओं ने भट के विरुद्ध पुलिस शिकायत की। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने हमेशा की तरह अपनी चतुराई की भूमिका अदा की और कहा कि, राव का आर.एस.एस. से कोई संबंध नहीं। धर्मांधता के कारण हिन्दुवादी किस हद तक गीर सकते हैं इस का यह एक उदाहरण है।

► मंदिर में गैर ब्राम्हण और महिला पुजारी का विरोध

महाराष्ट्र में पंढरपुर हिन्दुओं का बड़ा तिर्थक्षेत्र है, इस मंदिर में रहने वाले लोगों ने अशांती फैलाई थी इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद मंदिर समिति ने मंदिर के कर्मचारीयों को पुजा की जिम्मेदारी दी थी। इसी दरम्यान मंदिर समिति ने निर्णय लिया था कि, मंदिर में पूजा के लिए गैर ब्राम्हण और महिला को पुजारी बनाना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार भारत भर से आवेदन मंगाये गये और 129 लोगों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें 16 महिलायें थी। इसके बाद वारकरी समुदाय ने मंदिर समिति के निर्णय का विरोध करना शुरू किया और आंदोलन की धमकी दी। इस धमकी के कारण पुजारी की नियुक्ती मंदिर समिति ने रोक दी।

उपरोक्त घटना से यह साबित हुआ है कि, वारकरी समुदाय के मन में जातिवाद मजबूत जड़े बना चुका है। वह चाहते हैं ब्राम्हण कितना भी दुर्गुणी हो और वह अशांती फैलाने वाला हो तो भी पुजारी ब्राम्हण ही हो, गैर ब्राम्हण और महिला न हो।

► ग्राम पंचायत ने पुरे वडार समाज को गुंडा समाज कहा और बस्ती खाली करने का फर्मान दिया

महाराष्ट्र में पत्थर तोड़कर घरेलु सामान बनाने वाले घुमंतु समाज को वडार कहते हैं। पत्थरों के सामान का घरेलु

उपयोग कम होने के कारण उन्होंने अब कटलरी बेचने का काम शुरू किया है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अंबाडी गांव के पास वडार समाज के 27 परिवारों ने बंजर जमिन पर अपनी बस्ती बनाई। अंबाडी के ग्राम पंचायत ने अचानक प्रस्ताव पास किया कि, वडार समाज गुंडा समाज है और उन्हें बस्ती खाली करने की नोटिस भेज दी। घबराये हुये वडार समाज के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ वाघमारे को हकीकत बताई। उन्होंने ग्राम पंचायत की सरपंच मंदा भुरे और भंडारा के कलेक्टर से मुलाकात की तब उन वडार समाज के लोगों को राहत मिली।

महाराष्ट्र शासन की यह निति है कि, घुमंतु समाज के लोगोंको स्थायी करना। परन्तु इस समाज के लोग स्वयं स्थाई हो चुके हैं उन्हें अस्थायी करने का यह प्रयास किया गया। यह लोग निचली जाति के हैं इसलिए जातिद्वेष के कारण परेशान करने की यह कोशीश हो सकती है।

► हिन्दु परंपरा पर आधारित कार्ड का खेल बनाया गया

हिन्दु परंपरा को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्ड का मनोरंजक खेल बनाया गया। इस खेल का नाम महायोद्धा रखा गया है। इन कार्ड्स पर हिन्दु परंपरा के अनुसार आदित्य, असुर और राक्षस के बिच युद्ध के चित्र बनाये गये हैं। इस खेल के कार्ड दो सेट में हैं तथा एक सेट में 42 कार्ड हैं। इस खेल के निर्मिती के लिए अमेरिका स्थित कीकस्टारटर ने आर्थिक मदत की है। महायोद्धा कार्ड के सहनिर्माता सागर शंकर ने कहा है कि, यह खेल संसार के लोगों को हिन्दु परंपरा की जानकारी के लिए बनाया गया है। आनेवाले दिनों में मोबाईल पर यह खेल खेला जा सके उसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

हिन्दु परंपरा में काल्पनिक और चमत्कारीक कहानियां हैं जो केवल मनोरंजन के साधन हैं। उनमें मानव उत्थान की शिक्षा नहीं है। उस मनोरंजन को संसार के लोगों तक पहुंचाने का यह प्रयास है।

► संसार में 33 प्रतिशत बाल विवाह भारत में होते हैं

संयुक्त राष्ट्र के 'एंडींग चाइल्ड मैरेज - प्रोग्रेस एण्ड प्रास्पेक्ट' विषय पर रिपोर्ट में कहा गया है कि, संसार में भारत बाल विवाह के मामले में अग्रणी है। संसार में 33 प्रतिशत बाल विवाह अकेले भारत में होते हैं।

भारत में बाल विवाह को कानूनी अपराध माना गया है परन्तु कानून की परवाह नहीं करते हुये बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं। ब्राम्हणी धर्म में महिलाओं को निकृष्ट माना गया है और इसलिए उनका उत्पिडन होता रहा है और अभी भी हो रहा है। इस धर्म की परंपरा को लोग छोड़ना नहीं चाहते इसलिए कानून को दरकिनार कर बालविवाह हो रहे हैं। अब तो भारत में महिलाओं पर बलात्कार की संख्या भी बढ़ रही है। महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के कारण यह सब हो रहा है।

► महाराष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का बैंक लॉग

महाराष्ट्र शासन के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति उदासिनता के कारण इन समुदाय के कर्मचारियों का बैंक लॉग बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र शासन के सिधे भरती वाले पदों का 2 लाख 34 हजार और पदोन्नती वाले पदों का 73 हजार बैंक लॉग है। राज्यशासन के अंतर्गत आने वाले कॉलेज, विश्वविद्यालय, सहकारी संस्था, एस.टी. महामंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 3 लाख 7 हजार पद भरे नहीं गये हैं।

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जैसे उंचे पदों पर अनुसूचित जाति के केवल चार और अनुसूचित जनजाति के केवल अधिकारी हैं। राज्य के 6 विभागीय आयुक्तों में एक भी आयुक्त इन वर्गों का नहीं है। कुल 50 जिलाधिकारी यों में अनुसूचित जाति के चार और अनुसूचित जनजाति के दो जिल्हाधिकारी हैं।

25 मई 2009 के शासन के निर्णय के अनुसार इन वर्गों का बैंक लॉग भरने या पदोन्नती नहीं देने वाले अधिकारी को 6 माह की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है परन्तु इतना बड़ा बैंक लॉग होने के बावजूद भी किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ति नहीं किये जाने के इस प्रकार के उदाहरण अन्य राज्यों में भी होंगे। इससे यह साबित होता है कि राज्य सरकारें इन वर्गों की प्रगति नहीं होने देना चाहती हैं।

► मध्यप्रदेश में सर्वाधिक किसानों ने की आत्महत्या

पुरे देश में किसानों ने आत्म हत्या की उनमें से आधे से अधिक किसान मध्यप्रदेश के हैं। कृषि राज्यमंत्री संजीव बलीयान के द्वारा राजसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सन 2011 में देश में 2444 किसानों ने आत्महत्या की। उसमें 1323 किसान मध्यप्रदेश के हैं और दुसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र में 608 किसानों ने आत्महत्या की। सन 2012 और 2013 की जानकारी मध्यप्रदेश ने केन्द्र को नहीं भेजी है।

2012 में महाराष्ट्र में 642 और 2013 में 407 आत्महत्या किसानों ने की। आंध्रप्रदेश में 2011 में 303, 2012 में 178 और 2013 में 40 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में 2011 में 107, 2012 में 60 और 2013 में 9 किसानों ने आत्महत्या की। पंजाब में 2011 में 81 किसानों ने आत्महत्या की। इस राज्य ने भी मध्यप्रदेश की तरह 2012 और 2013 की जानकारी नहीं भेजी।

विमरु राज्य बिहार और राजस्थान में इन तिन वर्षों में कोई भी आत्महत्या नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में 2013 में केवल एक किसान ने आत्महत्या की। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में इन तिन वर्षों में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की।

► भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख बच्चे लापता होते हैं

भारत में हर साल लगभग 1 लाख बच्चे लापता होते हैं उनमें से 45 प्रतिशत बच्चों की खोज नहीं हो पाती, इस प्रकार की जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। सन 2013 में 1 लाख 70 हजार बच्चे लापता हुये थे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की थी और सरकार से जवाब मांगा था। परन्तु सरकार इस प्रकार के गंभीर मामले में अभी भी उदासिन है।

बच्चे लापता होने के मामले भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार बच्चे लापता होते हैं। नेशनल क्राईम रेकार्ड ब्युरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 8 वे मिनट में एक बच्चा लापता होता है आम लोगों के बच्चे लापता होते हैं तो कोई सुध नहीं लेता परन्तु जब शासन, प्रशासन के लोगों के तथा पूंजीपतियों के बच्चे तो क्या जानकर भी लापता होते हैं तो हाहाकार मच जाता है।

► भारत के गुप्तचर सबसे बड़े माफीया - ब्रिगे सावंत

शिवाजी इन्टरप्रीन्युअर्स असोसीएशन द्वारा आयोजित रिथीकिंग इंडीयन इकानामी इस विषय पर बोलते हुये ब्रिगेडीयर सुधिर सावंत ने कहा की, भारतीय गुप्तचर सब से बड़े माफीया है। माफीया सारे विश्व पर राज करते हैं, अब वह भारत पर भी राज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह सेना के गुप्तचर विभाग में काम करते थे इसलिए उन्हें भारतीय गुप्तचरों के बाबत जानकारी है। उन्होंने हैद्राबाद बम कांड का उदाहरण देते हुये कहा कि, जिस दिन हेलिकॉप्टर खरिदी घोटाले पर संसद में चर्चा होने वाली थी उसी दिन हैद्राबाद में बमकांड करवाया गया जिसमें घोटाले पर चर्चा होने को बजाय बमकांड पर चर्चा हुई।

“ बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर बल देना जरूरी है। मैं इसे इसलिए जोर देकर कहता हूँ क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म को महत्व दिया जा रहा है। भारतीयों को इस प्रकार से बुद्धीजम बताना हमारे हीत की दृष्टि से घातक है। ”

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

► पदोन्नती में आरक्षण मिलेगा

20 जुलाई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने रोहतास भानखर और अन्य विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नती में आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय मुख्य न्यायाधिश आर्. एम. लोढा, न्या. जे. एस. खेहर, न्या. जे. चेलोमेश्वर, न्या. ए. के. सिकरी और न्या. आर्. एफ. नरिमन के संविधान खंडपीठ ने दिया।

1996 से एस. विनोद कुमार और अन्य विरुद्ध भारत सरकार के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा में इन वर्गों को परीक्षा पास करने के लिए दी जाने वाली मार्क्स की छुट को अमान्य किया था। इस निर्णय के आधार पर रोहतास को विभागीय परीक्षा पास करने के लिए मिलने वाली छुट नहीं दी गई जिसके कारण उसकी पदोन्नती नहीं हो सकी। उसने निछले 10 वर्षों से न्यायालयीन लड़ाई जारी रखी और अंत में उसे अपना अधिकार मिल गया।

► बालविवाह बलात्कार से अधिक भयानक

बालविवाह बलात्कार से अधिक भयानक है और बालविवाह देश से पुरी तरह समाप्त होना चाहिए ऐसा दिल्ली के मेट्रो पोलिटन न्यायालय ने कहा है। सरकार द्वारा बालविवाह करने वालों पर सख्त कार्यवाही किये बगैर इस समस्या का निदान नहीं होगा, यह भी न्यायालय ने कहा है।

मेट्रोपोलिटन न्यायालय में हुंडा से संबंधित प्रकरण शुरू है। इस प्रकरण की युवती की शादी 14 वर्ष की उम्र में सन 2011 में हुई थी। युवती के माता-पिता तथा उसके सास-ससुर ने गंभीर जुर्म किया है इसलिए न्यायालय ने उन्हें जमकर डाट लगाई। बचपन में शादी करने से शिक्षा के अवसर कम होते हैं, युवती का शारीरिक शोषण होता है, लैंगिक बिमारीया होती है और प्रसूति के समय युवती की

जान को खतरा होता है, यह जानकारी भी न्यायालय ने दी। न्यायालयने युवती के माता-पिता के विरुद्ध अपराध दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही युवती के पतिद्वारा प्रतिमाह चार हजार रुपये देने के भी निर्देश दिये हैं।

► प्रत्येक केन्द्र की मतगणना को बंद करने का निर्णय क्यों नहीं लिया गया - सर्वोच्च न्यायालय की केन्द्र सरकार को फटकार

चुनाव सम्पन्न होने के बाद जिन चुनाव केन्द्र पर चुनाव हुआ उन केन्द्रों पर हर उम्मीदवार को कितने वोट मिले इसकी जानकारी मतगणना के बाद मिलती है। इससे विजयी उम्मीदवार को जिन केन्द्रों पर कम वोट मिले वहा के नागरिकों के प्रति द्वेष भावना निर्माण होने की संभावना है। उनके विरुद्ध बदले की भावना निर्माण होने की और उन्हें समान सुविधायें नहीं दी जाने की संभावना व्यक्त करते हुये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्या. आर्. एम. लोढा, न्या. कुरीयन जोसेप और न्या. आर्. एफ. नरिमन के खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से पुछा कि इस बाबत चुनाव आयोग द्वारा लिखे गये पत्र पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, चुनाव आयोग के केन्द्र पर मतगणना को बंद करने संबंधी सुझाव पर निर्णय लेकर चार हफ्ते के भितर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दिये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि, चुनाव आयोग तज्ञ लोगों मंडल है और उन्हें अच्छा कार्य कैसे संपादन किया जाय इसकी जानकारी होती है। चुनाव आयोग द्वारा केन्द्र सरकार को इस संबंध में 5 वर्ष 10 माह पूर्व पत्र लिखा था। केन्द्र सरकार ने इस बाबत 2011 में चर्चा की थी। उसके बाद 2013 में भी चर्चा की थी। परन्तु, इस विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

► कोरे कागज पर सही न करें

राष्ट्रीय ग्राहक समस्या निवारण आयोग ने यह निर्णय दिया है कि, कर्ज वसुली कर्जदार से करनी है या जमानतदार से इस बात का निर्णय लेने का अधिकार कर्ज देने वाली बैंक का है। जब कर्जदार से वसुली नहीं हो सकती तब जमानतदार से वसुली की जाए ऐसा आदेश आयोग नहीं दे सकता।

आपने यदि किसी को बैंक से कर्ज लेने के लिए मदद की है और बैंक कर्मचारीयों ने आपकी सही कोरे कागज पर ली है और बैंक ने उस कागज पर आपको जमानतदार लिखा तो आप कुछ भी करेंगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी। आपसे जमानतदार के रूप में ही कर्ज वसुला जायेगा।

कैनेरा बैंक की अर्जी मंजूर करते हुये राष्ट्रीय मंच के कार्यवाहक अध्यक्ष न्या. जे. एम. मलिक और सदस्य न्या. एस. एम. कांटीकर ने उपरोक्त निर्णय दिया। बैंक को एक ग्राहक से ओवर ड्राफ्ट की रकम वसुल करनी थी। उसके जमानतदार आर. एस. वासन से रकम वसुल करने की कार्यवाही को सही ठहराया।

► शरियत न्यायालय को कानुनी मान्यता नहीं

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. सी. के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि, शरीयत न्यायालय द्वारा जारी फतवा और आदेश को कानुनी मान्यता नहीं है। न्यायालय ने यह माना कि कुछ प्रकरणों में शरियत द्वारा पारित आदेश से मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है और बेकसुर लोगों को सजा दी गई है। कोई धर्म, इस्लाम समेत, बेकसुर लोगों को सजा देने की इजाजत नहीं देता।

विश्व लोचन मदाम द्वारा दायर जन याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से शरीयत न्यायालय की वैधता पर प्रश्न किया गया था जो भारत में समानांतर न्यायीक व्यवस्था है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

अखिल भारतीय पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा यह दलिल दी गई थी की शरीयत न्यायालय का आदेश मुफ्ती का विचार होता है और वह लोगों पर बंधन नहीं होता है और उसे अमल

में लाने की बाध्यता नहीं होती।

जाफरयाब जीलानी, सदस्य, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि, शरीयत न्यायालय समानंतर न्यायीक व्यवस्था नहीं है। वह केवल लोगों के आपसी सहमती से शरीयत के अनुसार झगड़े सुलझाते हैं।

► आपसी समझौते के बाद भी बलात्कार और खून के गुनाह को समाप्त नहीं किया जा सकता

पिडित और अपराधी में समझौता होने के बाद भी बलात्कार और खून के प्रकरणों में कार्यवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो उसका समाज पर विपरीत परिणाम होगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के न्या. रंजना प्रकाश देसाई और न्या. एन. वी. रमन के खंडपीठ ने निर्णय दिया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि, यदि अपराध व्यक्तिगत रूप का है और दोनों पक्षों में समझौता होने से सार्वजनिक शांति भंग नहीं हो सकती या सार्वजनिक शांती कायम रखने में उससे मदद हो सकती है ऐसा जब न्यायालय को लगे तब अपराध निरस्त किया जा सकता है।

अपराधी द्वारा दायर की गई याचिका पर, जिसमें कहा गया है कि, "पिडितों के साथ हमारा समझौता हो गया है तब हमारे विरुद्ध लंबित कार्यवाही को समाप्त किया जाए"। सुनवाई कर न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

► न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अपराधीयों ने आधी सजा काट ली तो उन्हें मुक्त करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश न्या. आर. एम. लोढा, न्या. कुरीयन जोसेफ और न्या. रोहीटन एफ. नरीमन के खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि जिन प्रकरणों में अपराधीयों ने आधी सजा काट ली उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। इस निर्णय से गरिब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो जेल से मुक्त होने के लिए अमानत

राशी और बेल बॉड नहीं भर सकते।

न्यायालय ने कहा, 'न्यायीक अधिकारी (मेजिस्ट्रेट/सेशन जज/ सी जे एम) ऐसे अपराधीयों को चिन्हीत करें जिन्होंने अपने गुनाह की आधी सजा काट ली है। सी.आर पी.सी.को धारा 436A की प्रक्रिया पुरी कर वह जेल मे ही ऐसे कैदीयों को मुक्त करने का आदेश पारित करें। न्यायीक अधिकारी सप्ताह मे एक दिन अपने कार्यक्षेत्र की जेल को भेंट दे और धारा 436A की प्रक्रिया करे।'

ऐसा अंदाज है कि भारत की जेलों में लगभग 3.81 लाख कैदी है जिनमें से 2.54 के विरुद्ध न्यायीक मामलो लंबित है। इनमे से कई कैदी ऐसे है जिनको हुई सजा से अधिक समय तक जेल मे रखा गया इनमे अधिकर कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के होते है जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती।

► प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दागीयों को मंत्री मंडल मे शामिल न करे

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश न्या.राजेन्द्रमल लोढा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपिठ ने निर्णय दिया है कि, संविधान की धारा 75(1) मे मंत्रीयों को अपात्र मानने के लिए कोई प्रावधान नहीं केवल शपथ के आधार पर

उसने व्यक्त किए विश्वास के कारण उसने मंत्री चुनते समय ऐसे व्यक्ती का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसके विरुद्ध फौजदारी या भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हो। यही भारतीय संविधान प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है। बाकी प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड दिया गया है। इसी प्रकार की अपेक्षा मुख्यमंत्री से भी की जाती है।

अपने 123 पेज के निर्णय मे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यह न्यायालय मंत्रीयों की पात्रता के बारे मे सरकार को निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि वैसा करना संविधान मे दी गई मर्यादा का उल्लंघन करना होगा। न्यायालय ने यह निर्णय मनोज नरुला द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर दिया।

न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा है कि, प्रजातांत्रिक रुप से चुनी गई सरकार मे फौजदारी आरोप या जातिविषयक, सामाजिक समस्या, राष्ट्र की संप्रभुता के संबध मे जिन पर आरोप है ऐसे प्रतिनिधीयों का समावेश न हो, यही अपेक्षा की जाती है।

नेशनल इलेक्शन वाच और असोसियेशन ऑफ डेमोक्रेटीक रिफार्मर्स इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का मानना है कि मोदी सरकार के 45 मंत्रीयों मे दर्जन भर ऐसे मंत्री है जिनके विरुद्ध फौजदारी मामले शुरु है। इनमे से उमा भारती पर तो 13 मामले दर्ज है।

शेष पान 2 से

संपादकीय...

दिया। हमारे देश के हित मे अच्छा तो यह होता कि धन की सहायता मांगने की बजाय मोदी जापान से बुद्धिष्ट विचार धारा की सहायता मांग लेते।

भारत का भविष्य और विकृत करने की भी तयारी चल रही है। गीता को पाठ्यक्रम मे शामिल करने की तयारी चल रही है। ब्राम्हणी विचारधारा के आधार पर भारत का विकास कदापि नहीं हो सकता। चंद पूंजीवादीयों का आर्थिक और औद्योगिक विकास देश का विकास नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के वक्त भारत के मतदाताओं को मोदी द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, मंहगाई समाप्त करेंगे, रोजगार देंगे और अच्छे दिन आयेंगे जैसे नारों से लुभाया गया। मोदी सरकार के 100 दिन पुरे हो गये परन्तु इन नारों पर क्रियान्वय होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग जानते है कि, भारत मे जब जब सरकार विफल हुई है जनता का ध्यान बांटा गया ताकि जनता का ध्यान मुल मुद्दों से हट जाय। अब भी यही हो रहा है। मोदी द्वारा दिए गए नारे मोदी सरकार क्रियान्वित करने मे विफल रही तो भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर, बजट मे नई घोषणायें कर, लाल किले से नई घोषणायें कर, नेताओं द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध भडकीली बयानबाजी कर, लव जेहाद जैसे नये मुद्दों को उलझाकर भारतवासीयोंका ध्यान बांटा जा रहा है। इस पर जनता ने स्वतंत्रता पुर्वक विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और जनहीत मे काम हो इसके लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए।

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

□ अखिल भारतीय धम्मज्ञान परिक्षा - 2014

दिनांक 10 अगस्त 2014 को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, और, छत्तिसगढ़, राज्यों में 81 केन्द्रों पर अखिल भारतीय धम्मज्ञान परिक्षा - 2014 का आयोजन किया गया। इस परिक्षा में 1847 परिक्षार्थी उपस्थित थे। निम्नलिखित परिक्षार्थियों अपने राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

महाराष्ट्र	काजल गुलाब बागेशर, वरोरा	जूनियर
.....	शालीनी देवानंद भगत, आर्णी	सिनियर
मध्यप्रदेश.....	सुमनलता, मंडला	जूनियर
.....	रमाशंकर जाटव, इंदरगढ़.....	सिनियर
गुजरात	धम्मपाल समाधान इंगळे, अहमदाबाद	सिनियर
उत्तरप्रदेश.....	प्रशांत आनंद, इलाहाबाद	जूनियर
.....	विनोद कुमार, इलाहाबाद	सिनियर
छत्तिसगढ़	सौरभ डोंगरे, रायपुर	जूनियर
.....	रवि दामले, अंबागड़ चौकी	सिनियर



'बुद्ध और उनका धम्म' इस ग्रंथ पर आधारित धम्म ज्ञान परीक्षा - 2014

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

□ पुरस्कार वितरण समारोह -

अखिल भारतीय धम्मज्ञान परिक्षा - 2014 का पुरस्कार वितरण समारोह दिक्षाभूमि, नागपुर पर स्टॉल नं.165 और 166 पर दिनांक 2-10-2014 को शाम 5 बजे सम्पन्न होगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पुज्य भन्ते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होंगे। मुख्य अतिथि आयु. एन. जी. कांबळे (आय .पी. एस. रिटा.) और डॉ. निलिमा चौहान होंगे। सभी परिक्षार्थी, सभी केन्द्र प्रभारी, और उपासकों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होंगे।

केन्द्र प्रभारी अखिल भारतीय धम्मज्ञान परिक्षा - 2015 के आवेदन फार्म स्टॉल नं.165 और 166 से प्राप्त कर सकते हैं।

□ बुद्ध धम्म संदेश रैली -

दिनांक 5 अक्टूबर 2014 को बुद्ध धम्म संदेश रैली दोपहर 1.00 बजे दिक्षाभूमि, नागपुर से प्रारंभ होगी। इस रैली में दो वाहनों के माध्यम से मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तिसगढ़, उडिसा, उत्तरप्रदेश और बिहार राज्यों के गांवों में और शहरों में पहुंचकर निरंतर 4 माह तक धम्म प्रचार किया जायेगा। रैली का समापन 31 जनवरी 2015 को धम्मगिरि, काजलवानी, त. सोंसर, जि - छिंदवाड़ा (म.प्र.) पर होगा।

सभी से निवेदन है कि तन मन धन से सहयोग कर रैली को सफल बनाये।

बुद्ध धम्म संदेश रैली के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार धम्म प्रचार किया जायेगा।

गाडी नं.1

दिनांक	भ्रमण क्षेत्र	विश्राम
5-10-2014	दीक्षाभूमि, नागपुर, सावनेर, सायखेडा	बोथीया (म.प्र.)
6-10-2014	चिचोली, टेमणी, सिवनी	मोरडोंगरी (म.प्र.)
7-10-2014	पांडुर्णा	तिगांव (म.प्र.)
8-10-2014	मारुड, वाडेगांव, बनगांव, खेडी	आजनगांव (म.प्र.)
9-10-2014	मुलताई	बैतुल (म.प्र.)
10-10-2014	सारणी, पाथाखेडा, घोडाडोंगरी, शहापुर	इटारसी (म.प्र.)
11-10-2014	होशंगाबाद, बुधणी	भोपाल (म.प्र.)
12-10-2014	भोपाल	भोपाल (म.प्र.)
13-10-2014	सिहोर, देवास	उज्जैन (म.प्र.)
14-10-2014		रतलाम (म.प्र.)
5-10-2014		वागीदोरा (राज .)
16-10-2014		हुंगरपुर (राज .)
17-10-2014		श्यामलाजी (गुज .)
18-10-2014		ईडर (गुज .)
19-10-2014	हिम्मतनगर, विजापुर	मेहसाना (गुज .)

20-10-2014	बेचरजी	विरमगांव (गुज .)
21-10-2014	लखतर	सुरेन्द्रनगर (गुज .)
22-10-2014	मुल, जोटीला, बमनबोर	राजकोट (गुज .)
23-10-2014	ढोल	जामनगर (गुज .)
24-10-2014	गोपमोती	पोरबंदर (गुज .)
25-10-2014	उपलेता, धोराजी	जूनागड (गुज .)
26-10-2014	बगरसरा	अमरेली (गुज .)
27-10-2014	दमनगर, सिहोर	भावनगर (गुज .)
28-10-2014	पटना, बरवाला, भदीयाड	लिमडी (गुज .)
29-10-2014	बगोदरा	अहमदाबाद (गुज .)
30-10-2014	गांधीनगर, नाडीयाड, आनंद	बडोदरा (गुज .)
31-10-2014	अंकलेश्वर	सुरत (गुज .)
1-11-2014	सोनगड, निजर, वेल्डा	नंदुरबार (महा.)
2-11-2014	शडवेल, कोरडे, निजामपुर, पिंपळनेर, साहनाबाद	साक्री (महा.)
3-11-2014	मालपुर, कासारे, पिंपळनेर, तिक्षे	सताना (महा.)
4-11-2014	मालेगांव, चांदवड	मनमाड (महा.)
5-11-2014	आकई, सावरगाव, येवला	कोपरगांव (महा.)
6-11-2014	काकणठाण, शींगन, पुलतांबा, उंदिरगाव	श्रीरामपुर (महा.)
7-11-2014	टाकळीभान, नेवासा, प्रवरा संगम	कायगांव (महा.)
8-11-2014	भेंडाळा, घोडेगांव, तांदुळवाडी, देवळी, नासुर स्टे,	दे. रंगारी (महा.)
9-11-2014	जांभळा, माळीवाडा, पडेगांव	औरंगाबाद (रांजणगाव) (महा.)
10-11-2014	दौलताबाद, मावसाला, खुलताबाद, वेरुळ, वाहेगांव	कन्नड (महा.)
11-11-2014	हिवरखेड, गवताळा, सायगव्हाण, वडगांव जाधव	नागद (महा.)
12-11-2014	हनुमंतखेडा, बनोटी, गोंदेगांव	पाचोरा (महा.)
13-11-2014	टोणगांव, भडगांव, पिंपरखेड, कोसादा, बनकुटा	यरंडोल (महा.)
14-11-2014	जळगांव, पिंपरी, वरुड बु ., पाळधी	भुसावळ (महा.)
15-11-2014	कुरे, गारखेडा, जामनेर	पहुर (महा.)
16-11-2014	वाकोद, पडदापुर, अजिंठा, शिवणा, मादीणी, धावडा	मढ(महा.)
17-11-2014	तरडखेडा, गुंभी, मासरुळ, धामणगांव, डोमरुळ, धाड	पिंपळगांव (रे) (महा.)
18-11-2014	हिसोडा खु, जळगांव सपकाळ, आन्वा, वाकडी वाडी	हसनाबाद (महा.)
19-11-2014	जवखेडा, चांदई, राजुर, केदरखेडा, कड पिंपळगांव	आसई (महा.)
20-11-2014	कोल्हापुर, माहोरा, बोरगांव, हिवरा, हारपाळा	लोणगांव (महा.)
21-11-2014	डोणगांव, आसरखेडा, देऊळगांव, मांडवा, शेळगांव	पांगरी (महा.)
22-11-2014	लालवाडी, अंबड, डाकलगांव, दाढेगांव, शिरसगांव	गेवराई (महा.)
23-11-2014	बीड, राजुरी, घाट सावळी, मैदा वडवणी, कुपा	माजलगांव (महा.)
24-11-2014	गंगा म्हसाला, ढोलेगांव, पात्री, मानवद रोड	परभणी (महा.)

25-11-2014	ब्राम्हणगाव, भोखंड, ताडपागरी, दैठणा, रुमना	गंगाखेड (महा.)
26-11-2014	राणी सावरगांव, खंडाळी, उजणी, काळेगांव	अहमदपुर (महा.)
27-11-2014	चाकुर, अजणी, उमरगा, चापुली	लातुर रोड (महा.)
28-11-2014	माहसळगा, कोळवा, लातुर, काडगाव, कासार जवळा	आंबेजोगाई (महा.)
29-11-2014	मांजरसुबा, लोखंडी सावरगांव, केज, निकणुर	कुंतलगीरी (महा.)
30-11-2014	सरम कुंडी, फाटा, वाशी	भुम (महा.)
1-12-2014	चिंचोली, उलुप, बावी, पाथरुड, अंतरवली, खरडा	जामखेड (महा.)
2-12-2014	चिंचपुर, जामगांव, आष्टी, कडा, शंरी बु, कुठफळ	अहमदनगर (महा.)
3-12-2014	टाकळी, धोकेश्वर, आरेफाटा	कल्याण (महा.)
5-12-2014	पालघर	मुंबई (महा.)
6-12-2014	मुंबई	मुंबई (महा.)
7-12-2014	मुंबई	मुंबई (महा.)
8-12-2014	मुंबई	मुंबई (महा.)
9-12-2014	खारघर	तळेगांव दाभाडे (महा.)
10-12-2014	पुणे, नसरापुर	खण्डाळा (महा.)
11-12-2014	वाई	सातारा (महा.)
12-12-2014	कराड, कासेगांव, ईस्लामपुर	कोल्हापुर (महा.)
13-12-2014	सांगली, मिरज	कवठे महाकाळ (महा.)
14-12-2014	नगज, सांगोळे, पंढरपुर	मोहळ (महा.)
15-12-2014	सोलापुर	बिजापुर (कर्ना.)
16-12-2014	कामदगी, सिंदगी, गंगपुर	गुलबर्गा (कर्ना.)
17-12-2014	सर्गपुर, होमनाबाद, भालकी	बिदर (कर्ना.)
18-12-2014	वड्डी, मेडरु, जहीराबाद	संगारेड्डी (तेलंगाना)
19-12-2014	रामचंद्रपुरम	हैद्राबाद (तेलंगाना)
20-12-2014	जगतीयाल, आरमुर	करीमनगर (तेलंगाना)
21-12-2014		निर्मल (तेलंगाना)
22-12-2014	म्हैसा	भोकर (महा.)
23-12-2014	धानोरा, बोरगांव, बायफंद, खडकी, येवली, उमरी	पाथरड (महा.)
24-12-2014	बळेगांव, हदगांव, रुई, धानोरा, हस्तरा, नेवरी, कोळी	मरटगा (महा.)
25-12-2014	येळेगांव, घोडा, कामठा, येलकी,	सुकळी (महा.)
26-12-2014	कुरुगाव, सोनी (रे), सिरड, लोहरा, औंधा	हिंगोली (महा.)
27-12-2014	राहोली, नरसी, (नामदेव), सेणगांव, आदेगांव	केन्द्रा (महा.)
28-12-2014	हराळ, रिसोड	गोवर्धन कोयाळी (महा.)
29-12-2014	मालेगांव, पातूर	सिंदखेड (महा.)
30-12-2014	अकोला, आपातापा, म्हैसांग, मुंगशी, सांवगा, भेटोरी	मुर्तिजापुर (महा.)
31-12-2014	नागठाना, नागोली, माना, जामठी,	

1-1-2015	राजूरा, कुरुम, बडनेरा	अमरावती (महा.)
2-1-2015	नवसारी, रेवसा, वलगांव, सावुर	लसनापुर (महा.)
3-1-2015	आसेगांव, परतवाडा, कंरजगांव, हैदोसपुर	चांदुरबाजार (महा.)
4-1-2015	बेलोरा, रिध्दपुर, मोर्शी, धनोडी	सेंदुरजनाघाट (महा.)
5-1-2015	पुसला, सांवगी, मोवाड, हिवरा (पृथ्वीराज)	जाटलापुर लिंगा (महा.)
6-1-2015	मोवाड, खरसोली, जलालखेडा, नारसिंगी	रोहना (महा.)
	काटोल, रिधोरा, कोढांळी, गोंडखैरी,	
	वडधामना, वानाडोंगरी	हिंगणा (महा.)
7-1-2015	नागपुर	नागपुर (महा.)
8-1-2015	नागपुर	नागपुर (महा.)
9-1-2015	नागपुर	नागपुर (महा.)
10-1-2015	नागपुर	नागपुर (महा.)
11-1-2015	नागपुर	नागपुर (महा.)
12-1-2015	विद्या नगर, कोराडी	खापरखेडा (महा.)
13-1-2015	पाटणसावंगी, सावनेर, तिष्टी	नरसाळाखापा (महा.)
14-1-2015	भागीमाहेरी, रामपुरी, मंगसा	केळवद (महा.)
15-1-2015	सातनुर, कोदाडोंगरी, सावंगा	पारडसिंगा (म.प्र.)
16-1-2015	खैरी, लोधीखेडा	ब्राम्हणपिपळा (म.प्र.)
17-1-2015	बोरगांव, जांभळापाणी, वाघोडा, घोटकी	जाखीवाडा (म.प्र.)
18-1-2015	रिधोरा, पिंपळा, ढोकडोह, सितापार	शंबडा (म.प्र.)
19-1-2015	गांगतवाडा, पंडरी, चिरकुटाघोंदी	बानाबाकोडा (म.प्र.)
20-1-2015	सत्रापुर, सिंगपुर	मोरघोंदी (म.प्र.)
22-1-2015	बाळापुर, रायबासा, सावजपानी, भाजीपानी	गोविंदपुर (म.प्र.)
23-1-2015	अंबाडा, गायखुरी, नांदनवाडी, बंधान	टेमणीकला (म.प्र.)
24-1-2015	सिराटा, गोरलीखापा, भटेवाडी	चिचखेडा (म.प्र.)
25-1-2015	भंदारगोंदी, लवाना, गुजरखेडी	दाढीमेटा (म.प्र.)
26-1-2015	माळेगांव, खैरी, निलकंठ, धावडीखापा, भुली	साँसर (म.प्र.)
28-1-2015	जलद प्रचार	
29-1-2015	जलद प्रचार	
30-1-2015	जलद प्रचार	
31-1-2015	जलद प्रचार	

संपर्क : केशव सोमकुवर 09970616106,

बुध्दप्रिय गायकवाड 09763643705

गाडी नं.2

दिनांक	भ्रमण क्षेत्र	विश्राम
5-10-2014	दीक्षाभुमी नागपुर, कामठी, कन्हान	देवलापार (महा.)

6-10-2014	सिवनी, लखनादौन, धुमा	जबलपुर (म.प्र.)
7-10-2014	पनागर, सिहोरा, कटनी	रैपुरा (म.प्र.)
8-10-2014	शाहनगर	पवई (म.प्र.)
9-10-2014	असोली, सलेहा, नागौद, देवेन्द्र नगर	हिरापुर (म.प्र.)
10-10-2014	पन्ना	अजयगड (म.प्र.)
1-10-2014	चित्रकुट	कर्वी (उ.प्र.)
12-10-2014	मऊ	कोशांबी (उ.प्र.)
13-10-2014	कटरा, बमरौली	इलाहाबाद (उ.प्र.)
14-10-2014	रुपपुर, भेंदवाड	बुआपुर (प्रतापगढ) (उ.प्र.)
15-10-2014	जौनपुर, मिरपुर, मिरगंज	सारनाथ (उ.प्र.)
16-10-2014	दुरगौति	बमहुर (मोहनिया) (बिहार)
17-10-2014		आमादी (बिहार)
18-10-2014	सासाराम	कुदरा (बिहार)
19-10-2014	डीहरी, औरंगाबाद	प्लांकी (बिहार)
20-10-2014	डोभी	बुध्दगया (बिहार)
21-10-2014	वजीरगंज	नवादा (बिहार)
22-10-2014	बिहार शरीफ	पटना (बिहार)
23-10-2014	हाजीपुर, लालगंज	वैशाली (बिहार)
24-10-2014	छपरा	बलिया (उ.प्र.)
25-10-2014		देवरीया (उ.प्र.)
26-10-2014		गोरखपुर (उ.प्र.)
27-10-2014		खलिलाबाद (उ.प्र.)
28-10-2014		सिध्दार्थ नगर (उ.प्र.)
29-10-2014		आंबेडकर नगर (उ.प्र.)
30-10-2014		बस्ती (उ.प्र.)
31-10-2014		गोंडा (उ.प्र.)
1-11-2014		लखनऊ (उ.प्र.)
2-11-2014	लखनऊ	लखनऊ (उ.प्र.)
3-11-2014		सितापुर (उ.प्र.)
4-11-2014		हरदोई (उ.प्र.)
5-11-2014		फिरोजाबाद (उ.प्र.)
6-11-2014		आगरा (राज .)
7-11-2014		धौलपुर (राज .)
8-11-2014	ग्वालीयर, गोहद	भींड (उ.प्र.)
10-11-2014	इटावा	औरय्या (उ.प्र.)
11-11-2014	भोगनीपुर, पुरवरया, काल्पी	उरई (म.प्र.)

12-11-2014	जालौन, मिनोहा	लाहर (म.प्र.)
13-11-2014	दबोह, भांडेर, इंदरगढ	दतिया (म.प्र.)
14-11-2014	झांसी	झांसी (म.प्र.)
15-11-2014	पिछोर	खनियाधाना (म.प्र.)
16-11-2014	चंदेरी, इसागढ	नईसराय (म.प्र.)
17-11-2014	मियाना	गुना (म.प्र.)
18-11-2014	अशोक नगर	मुंगावली (म.प्र.)
19-11-2014	बिना, खिमलासा	मालथौन (म.प्र.)
20-11-2014	खुरई	सागर (म.प्र.)
21-11-2014	करेली	नरसिंहपुर (म.प्र.)
22-11-2014	हरई, अमरवाडा	छिंदवाडा (म.प्र.)
23-11-2014	परासिया, रावणवाडा, बडकुही, जुन्नारदेव	दमुआ (म.प्र.)
24-11-2014	आमला, प्रभात पट्टन	तिवरखेड (म.प्र.)
25-11-2014	वरुड, आष्टी	थार (महा.)
26-11-2014	बोटोना, पाई	कारंजा (घाटगे) (महा.)
27-11-2014	तळेगांव, तिवसा	सिरसगांव (महा.)
28-11-2014	जळका, माई, पिंपळखुटा, चांदुर रेल्वे	बग्गी (महा.)
29-11-2014	नांदगाव, खंडेश्वर, सेलु, चिखली	कंझारा (महा.)
30-11-2014	दारव्हा, जवळा, आर्णि	तळणी (महा.)
1-12-2014	पारवा, पांढरकवडा, बोरी, जामनी	मांडवा (महा.)
2-12-2014	सपल्ली, समरवेली, मांडवी, दुर्गापुर, मुकुटबन, वणी	वरोरा (महा.)
3-12-2014	निलजाई, सोईट, केळी, माजरा, बोर्डा, पावना	वडगांव (महा.)
4-12-2014	घुघ्युस, कोडसी, कोरपना, चनई	जिवती (महा.)
5-12-2014	मानिकगड, येलापर, गडचांदुर, शेणगांव, पाचगांव, राजरा, कोठारी	बल्लारपुर (महा.)
6-12-2014	विसापूर, चंद्रपुर, भद्रावती, डिफेन्स, खानगांव, नेरी	भिसी (महा.)
7-12-2014	चिमुर्, शंकरपुर, काम्पा टेम्पा, नागभीड	सिंदेवाही (महा.)
8-12-2014	मुल, बैम्बाळ, केळझर	सुशी (दाबगांव) (महा.)
9-12-2014	देवाळा, पोम्भुर्णा, बोरगांव	गोंडपिपरी (महा.)
10-12-2014	आष्टी, अहेरी	आलापल्ली (महा.)
11-12-2014	वायगाव	चामोर्शी (महा.)
12-12-2014	गडचिरोली, पोर्ला	आरमोरी (महा.)
13-12-2014	कुरखेडा, वडसा	ब्रम्हपुरी (महा.)
14-12-2014	नांदगांव, मडघाट	लांखादुर (महा.)
15-12-2014	दिघोरी, पालांदुर	लाखनी (महा.)
16-12-2014	लाखोरी, सालेभाटा, निलाघोंदी, साकोली	सेंदुरवाफा (महा.)

17-12-2014	सौदंड, डव्वा, गोरेगांव	गोंदिया (महा.)
18-12-2014	गुदमा	आमगाव (महा.)
19-12-2014	सालेकसा, बोरतलाव	डोंगरगढ(छ.ग.)
20-12-2014		राजनांदगाव (छ.ग.)
21-12-2014	डोंगरगाव	चौकी (छ.ग.)
22-12-2014	बालोद, दुर्ग	भिलाई (छ.ग.)
23-12-2014	कुम्हारी	रायपुर (छ.ग.)
24-12-2014	आरंग	महासमुंद (छ.ग.)
25-12-2014	बसना, सरायपाली	झारबंद (उडिसा)
26-12-2014		बरगढ (उडिसा)
27-12-2014		बलांगीर (उडिसा)
28-12-2014		सनपुर (उडिसा)
29-12-2014		संबलपुर (उडिसा)
30-12-2014		झारसुगडा (उडिसा)
31-12-2014		रायगढ (छ.ग.)
1-1-2015	धाल, कुदमुरा, उरगा, मानिकपुर, तुलसीनगर, कोरबा	ढोंढीपारा (बुध्द विहार)(छ.ग.)
2-1-2015	चांपा, बाराद्वार सभेली, सप्ती, आमनडुला, मालखरौदा बडे	रबेली (छ.ग.)
3-1-2015	डमरा, चन्द्रपुर, सारंगढ, कोसीर	सरधाभाटा (छ.ग.)
4-1-2015	ओडकावन, हसौद, जैजेपुर, सेंदरी, कांशीगढ, जांजगीर, धारासीव	बुढेना (छ.ग.)
5-1-2015	तनौद, भुईगांव, भुडपार, हिरी, कोसीर, ढाबाडी, बोरसी, कोसा	भदौरा (छ.ग.)
6-1-2015	चिल्हीरी, पंधी, मटियारी, सिपत, पसरा, जलसो, भरारी	बिलासपुर (छ.ग.)
7-1-2015	मुंगेली	कवर्धा (छ.ग.)
8-1-2015	लाहोरा, गंडई	दमोह (म.प्र.)
9-1-2015	मलाजखंड	बैहर (म.प्र.)
10-1-2015	लामटा	मंडला (म.प्र.)
11-1-2015	बम्हणी, जामगांव, ठिठोरी, गोकुलठाना	नैनपुर (म.प्र.)
12-1-2015	केवलारी, उगली, धुरवाडा, खामी	सारसडोल (म.प्र.)
13-1-2015	कजई, बहरई, लालबर्वा, पांडेवाणी	बालाघाट (म.प्र.)
14-1-2015	वारासीवनी, अजानसी, उंमरी, कटंगी	सेलुवा (म.प्र.)
15-1-2015	खजरी, सिताखोह, मोहगांव, नांदी, तिरोडी	महकेपार (म.प्र.)
16-1-2015	तुमसर	मोहाडी (महा)

17-1-2015	भंडारा, अढ्याळ,	पवनी (महा.)
18-1-2015	भिवापुर, उमरेड	कुही (महा.)
19-1-2015	कामठी, पारसिवनी	सालई (महा.)
20-1-2015	खैरी (पंजाबराव), उमरी, हिंणणा, खापा, खुबारा, रिसाळा	बडेगाव (महा.)
21-1-2015	टेंभुरडोह, सिरोंजी, सुखानी, सिंदेवानी, वैरागड	चंद्रिकापुर (म.प्र.)
22-1-2015	सोनपुर, धनेगांव, खमारपानी, बिछुआ, तनसरा, सिलेवाणी	खापा (म.प्र.)
23-1-2015	कन्हानपिपळा, रामाकोना, देवी, घडेला, बडोसा, घोटनी, लोहांगी	वग्गुबिछवा (म.प्र.)
4-1-2015	कुड्डम, रानपेठ, कोपरावाडी, सिलोरा	जोबनी (म.प्र.)
25-1-2015	निमनी, बेरडी	काजळवानी (म.प्र.)
26-1-2015	साँसर	साँसर (म.प्र.)
27-1-2015	जलद प्रचार	
28-1-2015	जलद प्रचार	
29-1-2015	जलद प्रचार	
30-1-2015	जलद प्रचार	
31-1-2015	जलद प्रचार	

मैं सम्पूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा !

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



बुद्ध धम्म प्रचार समिति

बुद्ध धम्म महोत्सव

दि. 1 फरवरी 2015 से 3 फरवरी 2015 तक

स्थान : धम्मगिरि, काजळवाणी, त. साँसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.)

बुद्ध धम्म प्रचार समिति के कार्य

शाखा-कार्यालय : प्रज्ञा प्रिन्टर्स, केशव कॉम्प्लेक्स, 10 नं. पुलिया, कामठी रोड, नागपुर-17.
 9970616106, 9423102300, 9423630821,
 9422115487, 9766366288, 9921546275,
 9422137540, 9423111353, 9422126482,
 9860282936, 9595890302, 9326173755

प्रिय भाईयों और बहनों,

विगत 9 वर्षों से बुद्ध धम्म प्रचार समिति बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार कर रही है। समिति के उद्देश्य निम्नानुसार हैं।

- (1) भारत में बुद्ध धम्म का प्रचार करना।
- (2) बुद्ध धम्म प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करना और उसे संचालित करना।
- (3) प्रशिक्षित धम्म प्रचारकों के माध्यम से धम्म प्रचार करना ताकि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था स्थापित हो।
- (4) संशोधन और विश्लेषण शाखा, अनाथालय, दवाखाना, शैक्षणिक संस्था और कानूनी सलाह केन्द्र स्थापित करना।
- (5) बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, महोत्सव, सेमिनार, प्रशिक्षण, कार्यशाला इत्यादि आयोजित करना।

समिति के समित कार्यकर्ता हैं परन्तु समिति का कार्य निरंतर चलते रहता है। वर्तमान में समिति बुद्ध धम्म प्रचार का कार्य किस प्रकार कर रही है उसका संक्षिप्त विवरण आपकी जानकारी हेतु दिया जा रहा है।

1. अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परिक्षा

बाबासाहेब द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' पर आधारित अखिल भारतीय स्तर पर हर वर्ष अगस्त माह में धम्म ज्ञान परिक्षा का आयोजन किया जाता है। आवेदन फार्म और परीक्षा संबंधी जानकारी हर वर्ष धम्मचक्र प्रवर्तन दिन से उपलब्ध कराई जाती है। दीक्षाभूमि, नागपुर पर स्टॉल नं. 165, 166 से तथा प्रज्ञा प्रिन्टर्स, 10 नंबर पुलिया, कामठी रोड, नागपुर से आवेदन फार्म और परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध की जाती है। हर राज्य से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले परिक्षार्थी को प्रत्येकी 2000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 25 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस वर्ष 10 अगस्त 2014 को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ़, उत्तरप्रदेश, और गुजरात राज्यों के लगभग सौ से अधिक केन्द्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया। समिति का उद्देश्य यह है कि, लोगों ने

'बुद्ध और उनका धम्म' इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिये।

2. प्रशिक्षण शिविर

आंबेडकरी आंदोलन और बुद्ध धम्म का सही-सही ज्ञान कार्यकर्ताओं को होना चाहिये इसलिए समिति द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। इस वर्ष नागार्जुन महाविहार, रामटेक में 6 से 10 अप्रैल तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तिसगढ़, आंध्रप्रदेश और गुजरात के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। राजस्थान के उदयपुर में 17 से 19 मई तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया जिसमें 3 राज्यों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छत्तिसगढ़ राज्य स्तरीय शिविर 21 और 22 जून को आयोजित किया गया जिसमें 97 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गुजरात और दिल्ली के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की ईच्छा जाहिर की है। इसलिए निकट भविष्य में इन राज्यों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा सकते हैं।

3. बुद्ध धम्म संदेश रैली

पिछले छह वर्षों से भारत के विभिन्न भागों में रैलीयां आयोजित कर धम्म प्रचार किया गया। पिछले वर्ष 15 अक्टूबर 2013 से 11 फरवरी 2014 तक दो वाहनों के माध्यम से निरंतर 4 माह तक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, छत्तिसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान के हजारों गांवों और शहरों में कार्यकर्ताओं ने आंबेडकरी विचारधारा तथा बुद्ध धम्म पर प्रबोधन किया और साहित्य वितरित किया। समिति का उद्देश्य यह है कि, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर, खासकर गांव के लोगों तक पहुंचकर, उन्हें बाबासाहेब के आंदोलन और बुद्ध धम्म को समझायें। हर वर्ष प्रचार का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। इस वर्ष कम से कम 10 राज्यों में धम्म प्रचार किया जायेगा। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बाद 5 अक्टूबर 2014 से दीक्षाभूमि, नागपुर से रैली प्रारंभ होगी और 31 जनवरी 2015 को उसका समापन होगा।

4. बुद्ध धम्म महोत्सव

रैली समाप्त होने के तुरंत बाद माघ पुर्णिमा के अवसर पर तिन दिवसीय बुद्ध धम्म महोत्सव का भव्य आयोजन नागपुर से 70 कि. मि. स्थित काजलवाणी की धम्मगिरि पर आयोजित किया जाता है। धम्मगिरि मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसिल में है। अगला महोत्सव 1,2,3 फरवरी 2015 को आयोजित किया गया है।

समाज के विभिन्न वर्गोंद्वारा एकसाथ मिलकर विद्वानों से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बुद्ध और बाबासाहेब के

विचार सुने और जागृत हो, यह इस आयोजन का उद्देश्य है।

5. साहित्य प्रकाशन

(1) प्रज्ञा प्रकाश (त्रैमासीक पत्रिका) : बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा 'प्रज्ञा प्रकाश' नाम की त्रैमासीक पत्रिका 20 मार्च 2010 से प्रारंभ की है जो नियमित रूप से मराठी और हिन्दी भाषा में प्रकाशित हो रही है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार सर्वोत्तम हैं जिनकी बहुसंख्य लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए इस पत्रिका में केवल बाबासाहेब का लिखान और भाषण को छापा जाता है, अन्य किसी के लेख नहीं छापे जाते। हमारे देश में ब्राम्हणवादी ताकतें सक्रीय हैं, इसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य क्षेत्र में हो रही घटनाओं से जाना जा सकता है। ब्राम्हणवादी व्यवस्था के शिकार लोगों के लिए वह आईने का काम करती है। इसलिए इस पत्रिका में 'वर्तमान घटनाक्रम' को विस्तृत रूपसे दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी इस पत्रिका में दी जाती है।

(2) बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ, 'बुद्ध और उनका धम्म' का संक्षिप्त विवरण और बाबासाहेब द्वारा दी गई बाईस प्रतिज्ञाओं को उदाहरण के साथ देते हुये एक छोटी पाकीट बुक हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई है। यह पाकीट बुक बुद्ध धम्म की प्रारंभिक जानकारी के लिए उपयोगी है।

(3) बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा की डी वी डी : यह डीवीडी हिन्दी में बनाई गई है, जिसे देखने और सुनने से बुद्ध धम्म को आसानी से समझा जा सकता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है।

(4) 'भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंश' : यह पाकीट बुक आम आदमी को संविधान की कुछ जानकारी हो इस उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

(5) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित 'बुद्ध और उनका धम्म' छोटे साईज में हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में तथा 'बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स' हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया गया है।

(6) समिति द्वारा हर वर्ष आकर्षक कैलेंडर छपाया जाता है। इस कैलेंडर में बाबासाहेब के आंदोलन का तारिखवार वर्णन और बुद्ध तथा बाबासाहेब के विचार होते हैं।

(7) आयु. वाय.जी.अंभोरे द्वारा लिखित "विपश्यना आणि संमोहनाचा भंडाफोड" (मराठी) समिति के पास उपलब्ध है।

6. महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा

बाबासाहेब का साहित्य प्रकाशित करने हेतु स्वाक्षरी अभियान

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाबासाहेब के राइटिंग एण्ड स्पीचेस के 22 खंड प्रकाशित किये गए हैं। 22 वे खंड में त्रुटीयां हैं और वह रीप्रिंट होना है। पिछले अनेक वर्षों से बाबासाहेब के लिखान और भाषण के खंड प्रकाशित नहीं हुये हैं, इसलिए उनके मौलिक विचारों से जनता वंचित है। बाबासाहेब का अप्रकाशित साहित्य राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाये इसलिए लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा किये जा रहे हैं, जिन्हे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को प्रतिनिधी मंडल के माध्यम से सौंपा जायेगा और बाबासाहेब का अप्रकाशित साहित्य शीघ्र प्रकाशित हो इस दिशा में सार्थक कोशीश की जायेगी।

7. आगमी कार्य

सिमित कार्यकर्ता और सिमित दानराशी का अधिकतम उपयोग करके समिति उपरोक्त कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भूमि आबंटीत होती है तो, बाबासाहेब की बुद्धीष्ट सेमिनरी की सोच के अनुसार, बुद्ध धम्म प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा और संचालित किया जायेगा।

भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था प्रस्थापित नहीं होने का सबसे बड़ा रोड़ा जाति व्यवस्था है। बाबासाहेब चाहते थे जाति जड़ से ही समाप्त हो इसलिए इस संबंध में उन्होंने लिखान किया और आंदोलन चलाया। भारतीय संविधान में नागरिकों को मुलभूत अधिकार दिये गये हैं परन्तु जब से इस देश में संविधान लागु हुआ तब से अब तक मुलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। इन मुलभूत अधिकारों का हनन होने का मुख्य कारण जाति ही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 17 और 19 से 32 तक को पढ़े और वास्तविक स्थिति को देखे तो हर कोई इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इसलिए जाति निर्मुलन के लिए आंदोलन करना जरूरी है।

बुद्ध धम्म प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और जाति निर्मुलन के लिए आंदोलन यह दो कार्य करना अत्यंत जरूरी है। इन से धम्म का प्रचार और प्रसार करने में बड़ी सहायता होगी और भारत बौद्धमय करने में आसानी होगी।

वर्तमान परिस्थिति में धम्म प्रचार कार्य कठीन है परन्तु मानव कल्याण के लिए उसे करना जरूरी है। यदि हम दृढसंकल्पीत हैं और विपरीत परिस्थिति में अडिग रहकर निरंतर कार्य करते हैं तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी और हमारा जीवन सार्थक होगा।